दक्षिण रेलवे/**SOUTHERN RAILWAY**

सं No.P(R) MC – 60 / Pension and - Retirement / Death Gratuity

प्रधानकार्यालय/Headquarters Office
कार्मिक शाखा/Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003

दि./ Dated: 09-01-2020

आर बी ई सं/**RBE No. 210 / 2019**

पी बी सी सं/ **PBC No.312 / 2019**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops.

(As per mailing list-'A')

विषय/Sub:Master Circular – 60 "Pension and Retirement / Death Gratuity".

*****

A copy of Railway Board's letter No. D-43/16/2019-F(E)III dated 13-12-2019 on the above subject is enclosed for information guidance and necessary action.

(S.JANAKIRAMAN) 09.01.2020.
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
For Principal Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA
The Genl Secy / NFIR

सत्यमेव जयते

भारत सरकार (Government of India)
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
(रेलवे बोर्ड/ Railway Board)

पेंशन तथा सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान

पर

मास्टर परिपत्र सं. 60

(दिसम्बर, 2019 में अपडेटेड)

Master Circular No. 60
(Updated in December, 2019)

On

Pension and Retirement/Death Gratuity

MC NO. 60 (2019)
RBE NO.210/2019

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
RAILWAY BOARD)

....

No. D-43/16/2019-F(E)III

New Delhi Dt.18.12.2019

The GMs/Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units etc,
(As per mailing list)

Sub: Master Circular on Pension and Retirement/ Death Gratuity.

******

Please find enclosed herewith a copy of Master Circular No 60 regarding Pension and Retirement/ Death Gratuity for Railway Servants for information and necessary action.

G. Priya Sudarsani
(G.Priya Sudarsani)
Director, Finance (Estt.)
Railway Board

D.A .: as above

1. The General Secretary, NFIR,Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (with 20 spares)
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi (with 20 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroze Shah Road, New Delhi (with 30 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary, RBSS, Group"A" Officers Association, Room No.402, Rail Bhawan.
6. The Secretary, RBSS, Group"B" Officers Association.
7. The General Secretary, RBSSSA, Room No.439, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The General Secretary, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.
11. The Secretary, All India RPF Association, Room No 256-D, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
12. The Secretary, Railway Board Promottee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
13. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employee Association, Room No. 7, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, All India O.B.C Railway Employee's Federation (AIOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan.

For Secretary/Railway Board

एमसी सं. 60 (2019)

आरबीई सं. 210/2019

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)

रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)

(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

सं. डी-43/16/2019-एफ(ई)III

नई दिल्ली दिनांक 13.12.2019

महाप्रबंधक/प्रधान वित सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय : पेंशन तथा सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के संबंध में मास्टर परिपत्र ।

*****

"पेंशन और सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान" पर मास्टर परिपत्र संख्या 60 इससे पूर्व बोर्ड के पत्र सं. एफ(ई)III/93/एमसी-4/पेंशन एवं डीसीआरजी, दिनांक 17.10.1994 द्वारा तैयार एवं परिपत्रित किया गया था । रेलवे बोर्ड ने अब उक्त विषय पर सभी संबंधितों की सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए एक समेकित एवं संशोधित मास्टर परिपत्र जारी करने का निर्णय लिया है ।

2. इस परिपत्र को देखते हुए इसमें संदर्भित सभी पत्रों को उचित तरीके से पढ़ा जाए । यह परिपत्र अभी तक जारी किए गए अनुदेशों का समेकन है तथा इन्हें मूल का प्रतिस्थापन न माना जाए । शंका के मामले में, मूल परिपत्र को प्राधिकार के रूप में माना जाए ।

3. उपरोक्त संदर्भित मूल परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों का उनके जारी होने की तिथि से ही भावी प्रभाव होगा जब तक कि संबंधित परिपत्र में अन्यथा विशेष रूप से न दिया जाए । पुराने मामलों पर कार्रवाई के लिए, उस समय पर लागू अनुदेशों का संदर्भ लिया जाना चाहिए; और

4. यदि इस समेकित पत्र को तैयार करते समय इस विषय पर कोई परिपत्र जिसे हटाया नहीं गया है, पर विचार नहीं किया गया है, तो उक्त परिपत्र, जो चूक के कारण छूट गया है, को वैध एवं लागू माना जाएगा। ऐसे गुम हुआ परिपत्र, यदि कोई है, तो उसे रेलवे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

पेंशन

1. पेंशन के लिए पात्रता तथा पेंशन की रकम

1.1 स्थायी रेल सेवक को न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद उसकी सेवा छोड़ने पर चाहे वह पद के उन्मूलन या चिकित्सीय दृष्टि से अशक्तता या 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्ति य अधिवर्षिता होने पर पेंशन स्वीकार्य है । बहरहाल, 1.1.1986, से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले या 10 वर्ष की अर्हक सेवा सहित उचित प्राधिकारी द्वारा आगे रेल सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित होने पर अस्थायी रेल सेवक, स्थायी कर्मचारी को यथा स्वीकार्य उसी वेतनमान पर अशक्तता पेंशन/अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति उपदान तथा परिवार पेंशन, के लिए पात्र होंगे । 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने के इच्छुक अस्थायी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना के अनुसार पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान तथा परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे ।

1.2 33 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ पूर्ण पेंशन का वितरण 01.01.2006 से निरस्त किया जाएगा। एक बार जब रेल सेवक ने न्यूनतम 20 वर्ष की अर्हक सेवा प्रदान कर दी है तो पेंशन का भुगतान परिलब्धियों अथवा पिछले 10 माह के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो, के 50% की दर से किया जाएगा ।

1.3 अर्हक सेवा जो कि 10 वर्ष से कम की न हो पूरी करने के बाद इस नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवकों के मामले में, पेंशन की राशि परिलब्धियों अथवा औसत परिलब्धियों पर, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो, के 50% पर परिकलित की जाएगी जो 01.01.2016 से, न्यूनतम नौ हज़ार रुपए प्रतिमास और अधिकतम एक लाख पच्चीस हज़ार रुपए प्रतिमास होगी ।

1.4 पैरा 1.3 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य पेंशन के अतिरिक्त, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी होने के बाद, सेवानिवृत्त रेल सेवक को निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन देय होगी, अर्थात् :-

क्रमांक	पेंशनभोगी की आयू	अतिरिक्त पेंशन
(1)	(2)	(3)
1	80 वर्ष से 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
2	85 वर्ष से 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
3	90 वर्ष से 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
4	95 वर्ष से 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
5	100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत

अर्हक सेवा की अवधि की गणना करने में वर्ष का तीन महीने तथा उससे अधिक का भाग पूरे आधे वर्ष के बराबर माना जाएगा और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी ।

1.5 पैरा 1.3 के अधीन अंतिम रूप से निर्धारित पेंशन की रकम पूरे-पूरे रुपयों में अभिव्यक्त की जाएगी और जहां पेंशन में एक रुपए का कोई भाग हो वहां उसे अगले उच्चतर रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा ।

(प्राधिकारी : रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.09.13 का पत्र सं. 2011/एफ(ई) III/1(1)9)

2. <u>पेंशन के वर्ग</u>

2.1 अधिवर्षिता पेंशन : अधिवर्षिता पेंशन ऐसे रेल सेवक को प्रदान की जाएगी जिसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त किया जाता है । (अधिवर्शिता अर्थात वर्तमान में 60 वर्ष)

2.2 <u>उस मास की अंतिम तारीख पर सेवानिवृत्ति जिसमें अधिवर्षिता पड़ती है :</u>

1.11.1973 से, समूह "ख", "ग" और "घ" सेवा या पदों के रेल सेवक और 1.5.1974 से समूह "क" सेवा या पदों के रेल सेवक खंड (ज) (झ) (ट) और (ठ) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस मास की अंतिम तारीख के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे जिसमें नियम 2046-आरII के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पड़ती है । (आर-II के 1987 के संस्करण के संगत नियम हैं नियम 1802 और 1804)

(दिनांक 18.12.1973, 20.5.1974 और 2.8.1974 का पत्र सं. पीसीIII/73/आरटी/4)

2.3 <u>सेवानिवृत्ति पेंशन</u>

<u>30 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण होने के बाद सेवानिवृति</u> - (1) रेल सेवक द्वारा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के बाद किसी भी समय -

(क) वह सेवा से निवृत हो सकेगा; अथवा

(ख) नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी उससे लोकहित में सेवानिवृत्त होने के अपेक्षा कर सकेगा, और ऐसी सेवानिवृत्ति की दशा में रेल सेवक सेवानिवृत्ति पेंशन का हकदार होगा:

परंतु -

(i) रेल सेवक नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को उस तारीख से जिसको वह सेवानिवृत्त होना चाहता है, पूर्व कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देगा और,

(ii) नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी उस तारीख से जिसको रेल सेवक से लोकहित में सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की जाए, पूर्व कम से कम तीन मास की लिखित सूचना अथवा ऐसी सूचना के बदले तीन मास का वेतन और भत्ता दे सकेगा :

परंतु यह और भी कि जहां पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन सूचना देने वाला रेल सेवक निलंबित है वहां नियुक्ति प्राधिकारी को इस नियम के अधीन ऐसे रेल सेवक को सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा पर रोक लगाने की छूट होगी :

परंतु यह भी कि उपरोक्त के (क) के उपबंध रेल सेवक को, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो -

(i) विदेश मंत्रालय के भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तथा अन्य सहायता कार्यक्रमों के अधीन नियोजन पर हैं,

(ii) मंत्रालयों या विभागों के विदेशों में स्थित कार्यालयों में विदेश में तैनात हैं,

(iii) किसी विदेशी सरकार के किसी विनिर्दिष्ट संविदा नियोजन पर हैं,

तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि भारत में स्थानांतरण हो जाने के पश्चात उसने भारत में पद का कर्त्तव्यभार न संभाल लिया हो और कम से कम एक वर्ष की अवधि तक सेवा न कर ली हो।

(2)(क) पहले परंतुक के खंड (i) में निर्दिष्ट रेल सेवक तीन मास से कम की सूचना स्वीकार करने के लिए कारण देते हुए नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित रूप में प्रार्थना कर सकेगा ;

(ख) (क) के अधीन की गई प्रार्थना की प्राप्ति पर नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास की सूचना की अवधि कम करने की ऐसी प्रार्थना पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर सकेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सूचना की अवधि कम करने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास की सूचना की अपेक्षा को इस शर्त पर शिथिल कर सकेगा कि रेल सेवक तीन मास की सूचना की अवधि की समाप्ति के पूर्व अपनी पेंशन के किसी भाग के सरांशीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा ।

(3) ऐसा रेल सेवक जिसने इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का निर्वाचन किया है और नियुक्ति प्राधिकारी के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना, तत्पश्चात अपने निर्वाचन को प्त्याहृत करने से प्रवारित रहेगा :

परंतु यह तब जब कि प्रत्याहरण संबंधी प्रार्थना उसकी सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख के भीतर की जाए ।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, "नियुक्ति प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो ऐसी सेवा या पद पर नियुक्तियां करने के लिए सक्षम है जिनसे रेल सेवक सेवानिवृत्त होता है ।

<u>20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर चुकने पर सेवानिवृत्ति</u> - (1) कोई भी रेल सेवक बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर चुकने के पश्चात किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन मास की सूचना देकर सेवानिवृत्त हो सकेगा :

परंतु यह ऐसे रेल सेवक को, जिसके अंतर्गत ऐसे "वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ भी हैं, लागू नहीं होगा, जो -

(i) विदेश मंत्रालय के भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तथा अन्य सहायता कार्यक्रमों के अधीन नियोजन पर हैं,

(ii) मंत्रालयों या विभागों के विदेशों में स्थित कार्यालयों में विदेश में तैनात हैं,

(iii)किसी विदेशी सरकार के किसी विनिर्दिष्ट संविदा नियोजन पर हैं, तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि भारत में स्थानांतरण हो जाने के पश्चात उसने भारत में पद का कर्तव्यभार न संभाल लिया हो और कम से कम एक वर्ष की अवधि तक सेवा न कर ली हो ।

(2) (1) के अधीन दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की जानी अपेक्षित होगी:

परंतु जहां नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा देने से इंकार नहीं करता वहां सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगी।

(3)(क) (1) में निर्दिष्ट रेल सेवक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तीन मास से कम की सूचना स्वीकार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित रूप में, उसके लिए कारण देते हुए, प्रार्थना कर सकेगा।

(ख) खंड 3(क) के अधीन की गई प्रार्थना की प्राप्ति पर,नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त उपबंधों के अधीन रहते हुए, तीन मास की सूचना की अवधि कम करने की ऐसी प्रार्थना पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर सकेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सूचना की अवधि कम करने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास की सूचना की अपेक्षा को इस शर्त पर शिथिल कर सकेगा कि रेल सेवक तीन मास की सूचना की अवधि की समाप्ति के पूर्व अपनी पेंशन के किसी भाग के संराशीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा ।

(4) ऐसा रेल सेवक जिसने इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का निर्वाचन किया है और नियुक्ति प्राधिकारी को उस आशय की सूचना दे दी है, ऐसे प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना, अपनी सूचना को वापस लेने से प्रवारित होगा :

परंतु उसे वापस लेने का अनुरोध उसकी सेवानिवृत्ति की अशयित तारीख से पूर्व किया जाएगा ।

(5) हटाया गया (प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.09.13 का पत्र सं. 2011/एफ(ई) III/1(1)9)

(6) यह नियम किसी ऐसे रेल सेवक को लागू नहीं होगा जो कि किसी ऐसे स्वायत्तशासी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में , जिसमें वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्रतिनियुक्ति पर है, स्थायी रूप से आमेलित किए जाने के लिए रेल सेवा से निवृत्त होता है ।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, "नियुक्ति प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो ऐसी सेवा या पद पर नियुक्तियां करने के लिए सक्षम है जिनसे रेल सेवक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है ।

2.4 स्पष्टीकरण दिया गया है बशर्ते कि जब भी अधिकारी/कर्मचारी के पास नियम 67 के अधीन सेवानिवृत्ति लेते समय तीन महीने से अधिक का समय हो, तब संराशीकरण का भुगतान तीन महीने बाद देय होगा परंतु जहां सामान्य अधिवर्षिता तीन महीने की सूचना अवधि के भीतर है, तब अधिवर्षिता की तारीख ही पेंशन के एक भाग के संराशीकरण के आवेदन की तारीख होगी जो इस संदर्भ में विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तों के अधीन होगी ।

(प्राधिकार : दिनांक 25.04.2017 का पत्र सं. 2016/एफ(ई)III/1(1)/8)

2.5 <u>किसी निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलित कर लिए जाने पर पेंशन</u>

किसी निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलित कर लिए जाने पर पेंशन:-
(1) ऐसे रेल सेवक के बारे में, जिसे किसी ऐसे निगम या कंपनी में या उसके अधीन जो पूर्णतः या पर्याप्ततः केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित किए जाने की अनुज्ञा दे दी गई है, तो, यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख से सेवानिवृत्त हुआ है जिसको उसका आमेलन किया जाता है, और वह ऐसी सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं, यदि कोई हैं, ऐसी तारीख से जो उसे लागू रेल प्रशासन के आदेशों के अनुसार अवधारित की जाएं, प्राप्त करने का पात्र होगा ।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.01.05 का पत्र सं. एफ(ई)III/2003/पीएन1/25)

2.6 <u>रेलवे विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में परिवर्तन होने के फलस्वरूप आमेलन पर पेंशन के भुगतान की शर्तें</u>

(1) रेलवे विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में परिवर्तन होने पर उस विभाग के सभी रेल सेवकों का सामूहिक रूप से उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थानांतरण विदेशी सेवा की शर्तों पर बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते पर , जब तक कि उनका उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन नहीं हो जाता, कर दिया जाएगा और ऐसे स्थानांतरित रेल सेवकों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन उस तारीख से माना जाएगा जो तारीख सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी ।

(2) सरकार द्वारा स्थानांतरित रेल सेवकों को रेलवे में वापस आने अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी रूप से आमेलित होने विकल्प दिया जाएगा ।

(3) उक्त संदर्भित विकल्प प्रत्येक स्थानांतरित रेल सेवक द्वारा जैसा कि सरकार द्वारा तय किया गया है के तरीके से एवं ऐसी अवधि के भीतर दिया जा सकता है ।

(4) रेल सेवक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कर्मचारी के रूप में स्थायी आमेलन उस तारीख से माना जाएगा जिस तारीख से सरकार द्वारा उनका विकल्प स्वीकार किया जाएगा और उस स्वीकृति की तारीख को और से ऐसे कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं रहेंगे और उन्हें रेल सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा ।

(5) रेल सेवक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन हो जाने पर, उनके द्वारा आमेलन होने से पहले सरकार में ग्रहण किए हुए पद समाप्त माने जाएंगे ।

(6) वह कर्मचारी जो रेल सेवा में प्रत्यावर्तित होने का विकल्प चुनेंगे उन्हें सरकार के अधिशेष सेल द्वारा पुनर्नियोजित किया जाएगा ।

(7) स्थायीवृत्त और अस्थायी कर्मचारी, अनियत मजदूरों के अलावा, जो सार्वजनिक उपक्रम में स्थायी आमेलन का विकल्प चुनेंगे वे आमेलन की तारीख को और से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमों एवं विनियमों और उप-नियमों द्वारा शासित होंगे ।

(8) एक स्थायी रेल सेवक जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी के रूप में आमेलित हो चुका है, का परिवार पेंशन के लाभ का हकदार होगा (पेंशन का संराशीकरण, उपदान, परिवार पेंशन अथवा असाधारण पेंशन सहित) जो उसकी रेल एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रदान की गई कुल सेवा के आधार पर, उसकी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के समय उस उपक्रम में पेंशन के लाभों की गणना के लिए लागू फॉर्मूला के अनुसार अथवा उसकी इच्छा पर रेलवे के अधीन प्रदान की गई सेवा के लाभों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परिकलित की जाएगी ।

<u>स्पष्टीकरण</u> : आमेलित कर्मचारी के संदर्भ में उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त होने पर अथवा उसकी मृत्यु होने पर पेंशन अथवा परिवार पेंशन उसी तरीके से परिकलित की जाएगी जैसा कि एक रेल सेवक की उसी दिन सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु होने पर परिकलित की जाएगी ।

(9) एक कर्मचारी की पेंशन लाभ अथवा औसत लाभ के पचास प्रतिशत पर, जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हो, परिकलित की जाएगी ।

(10) पेंशन अथवा परिवार पेंशन, जो भी मामला हो, के अतिरिक्त जो आमेलित कर्मचारी संयुक्त सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प लेगा वो औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई राहत के पात्र होगा।

(11) पेंशन अथवा परिवार पेंशन के लाभ स्थायीवृत्त अथवा अस्थायी रेल सेवक को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी हो जाने के बाद उपलब्ध होंगे ।

(12) स्थायी रेल सेवक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित हो जाने पर अथवा अस्थायी या स्थायीवृत्त रेल सेवक जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित हो जाने के बाद स्थायी हो गए हैं, वो सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिला कर कुल 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण कर लेने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने हेतु पात्र हो जाएगा तथा ऐसा व्यक्ति अर्हक सेवा के आधार पर पेंशन के लाभों का पात्र होगा ।

(13) सरकार एक ट्रस्ट के रूप में पेंशन निधि बनाए तथा आमेलित कर्मचारियों को ऐसी पेंशन निधि से पेंशन के लाभ प्रदान करे ।

(14) न्यासी मंडल के अध्यक्ष सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड होंगे, जिसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन, श्रम, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उनके कर्मचारी तथा सरकार द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे ।

(15) पेंशन निधि से दिए जाने वाले पेंशन के लाभ की मंजूरी एवं उसके संवितरण की प्रक्रिया एवं तरीके का निर्धारण सरकार द्वारा न्यासी मंडल की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा ।

(16) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में रेल सेवक के आमेलन की तारीख तक प्रदान की गई सेवा के लिए पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए एकमुश्त भुगतान करके सरकार अपने पेंशन दायित्व का निर्वहन करेगी।

(17) पेंशन के लाभों के भुगतान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने वित्तीय दायित्व की भागीदारी के तरीके का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(18) पेंशन की एकमुश्त राशि का निर्धारण रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1993 के परिशिष्ट में दी गई मूल्य तालिका के अनुसार किया जाएगा ।

(19) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंधित कर्मचारी द्वारा उस उपक्रम में दी गई सेवा के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर पेंशन निधि में पेंशन योगदान करेगा जिससे कि पेंशन निधि में मदद मिलेगी ।

(20) यदि, किसी भी वित्तीय अथवा प्रचालनिक कारणों से, ट्रस्ट पेंशन फंड से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी कमी को पूरा करने की स्थिति में न हो, तब सरकार ऐसे खर्चे का वहन करने के लिए दायी होगी तथा ऐसा खर्चा फंड अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को डेबिट किया जाएगा ।

(21) रेल विभाग के पेंशनभोगियों को पेंशन के लाभ का भुगतान उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में बदलने की तारीख से सरकार का कर्तव्य होगा तथा इस संबंध में उसके कर्तव्यों को बांटने का तरीका भी सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा ।

(22) रेल विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में परिवर्तित हो जाने पर -

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन हो जाने के बाद आमेलित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में शेष राशि को ऐसे उपक्रम की सहमति से उपक्रम के कर्मचारियों के नए भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा;

(ख) आमेलन की तारीख तक कर्मचारियों के खाते में बचे अर्जित अवकाश और अर्ध-वैतनिक अवकाश ऐसे उपक्रम में स्थानांतरित हो जाएंगी;

(ग) किसी भी कर्मचारी का उपक्रम में आमेलन हो जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से किसी भी कदाचार के कारण बर्खास्त अथवा हटाए जाने के बाद भी रेल में प्रदान की गई सेवा के सेवानिवृत्ति के लाभों को जब्त नहीं किया जाएगा और उसके बर्खास्तगी, हटाए जाने अथवा छंटनी हो जाने पर, उपक्रम के निर्णय की समीक्षा उपक्रम के साथ रेल मंत्रालय के अधीन होगी ।

(23) यदि सरकार किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक अपनी इक्विटी का विनिवेश कर लेती है, तब ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु वह पर्याप्त संरक्षण विनिर्दिष्ट करेगी ।

(24) उपरोक्त संरक्षण में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा उपक्रम में सेवा बहाली अथवा रेल सेवकों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों पर लागू नियमों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कर्मचारी के

विकल्प के अनुसार और अर्जित पेंशन के लाभों का आश्वासित भुगतान, अर्हक सेवा की अवधि में छूट के साथ, जैसा भी सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए, का विकल्प शामिल होना चाहिए ।

2.7 <u>रेलवे विभाग को केंद्रीय स्वायत्त निकाय में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप आमेलन पर पेंशन के भुगतान की शर्तें</u> :-

(1) रेलवे विभाग को स्वायत्त निकाय में परिवर्तन होने पर उस विभाग के सभी रेल सेवकों का सामूहिक रूप से उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थानांतरण विदेशी सेवा की शर्तों पर बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते पर , जब तक कि उनका उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन नहीं हो जाता, कर दिया जाएगा और ऐसे स्थानांतरित रेल सेवकों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन उस तारीख से माना जाएगा जो तारीख सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी ।

(2) सरकार द्वारा स्थानांतरित रेल सेवकों को रेलवे में वापस आने अथवा स्वायत्त निकाय में स्थायी रूप से आमेलित होने विकल्प दिया जाएगा ।

(3) उक्त संदर्भित विकल्प प्रत्येक स्थानांतरित रेल सेवक द्वारा जैसा कि सरकार द्वारा तय किया गया है के तरीके से एवं ऐसी अवधि के भीतर दिया जा सकता है ।

(4) रेल सेवक का स्वायत्त निकाय में कर्मचारी के रूप में स्थायी आमेलन उस तारीख से माना जाएगा जिस तारीख से सरकार द्वारा उनका विकल्प स्वीकार किया जाएगा और उस स्वीकृति की तारीख को और से ऐसे कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं रहेंगे और उन्हें रेल सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा ।

(5) रेल सेवक का स्वायत्त निकाय में आमेलन हो जाने पर, उनके द्वारा आमेलन होने से पहले सरकार में ग्रहण किए हुए पद समाप्त माने जाएंगे ।

(6) वह कर्मचारी जो रेल सेवा में प्रत्यावर्तित होने का विकल्प चुनेंगे उन्हें सरकार के अधिशेष सेल द्वारा पुनर्नियोजित किया जाएगा ।

(7) स्थायीवृत्त और अस्थायी कर्मचारी, अनियत मजदूरों के अलावा, जो स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन का विकल्प चुनेंगे वे आमेलन की तारीख को और से स्वायत्त निकाय के नियमों एवं विनियमों और उप-नियमों द्वारा शासित होंगे।

(8) एक स्थायी रेल सेवक जो स्वायत्त निकाय के कर्मचारी के रूप में आमेलित हो चुका है, का परिवार पेंशन के लाभ का हकदार होगा (पेंशन का संराशीकरण, उपदान, परिवार पेंशन अथवा असाधारण पेंशन सहित) जो उसकी रेल एवं स्वायत्त निकाय में प्रदान की गई कुल सेवा के आधार पर, उसकी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के समय उस उपक्रम में पेंशन के लाभों की गणना के लिए लागू फॉर्मूला के अनुसार अथवा उसकी इच्छा पर रेलवे के अधीन प्रदान की गई सेवा के लाभों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परिकलित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण : आमेलित कर्मचारी के संदर्भ में उसके स्वायत्त निकाय से सेवानिवृत्त होने पर अथवा उसकी मृत्यु होने पर पेंशन अथवा परिवार पेंशन उसी तरीके से परिकलित की जाएगी जैसा कि एक रेल सेवक की उसी दिन सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु होने पर परिकलित की जाएगी ।

(9) उपरोक्त (8) के अनुसार एक कर्मचारी की पेंशन, लाभ अथवा औसत लाभ के पचास प्रतिशत, जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हो, पर परिकलित की जाएगी ।

(10) पेंशन अथवा परिवार पेंशन, जो भी मामला हो, के अतिरिक्त जो आमेलित कर्मचारी संयुक्त सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प लेगा वो औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई राहत के पात्र होगा।

(11) पेंशन अथवा परिवार पेंशन के लाभ स्थायीवृत्त अथवा अस्थायी रेल सेवक को स्वायत्त निकाय में स्थायी हो जाने के बाद उपलब्ध होंगे ।

(12) सरकार एक ट्रस्ट के रूप में पेंशन निधि बनाए तथा आमेलित कर्मचारियों को ऐसी पेंशन निधि से पेंशन के लाभ प्रदान करे ।

(13) न्यासी मंडल के अध्यक्ष सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड होंगे, जिसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन, श्रम, संबंधित स्वायत्त निकाय और उनके कर्मचारी तथा सरकार द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे ।

(14) पेंशन निधि से दिए जाने वाले पेंशन के लाभ की मंजूरी एवं उसके संवितरण की प्रक्रिया एवं तरीके का निर्धारण सरकार द्वारा न्यासी मंडल की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा ।

(15) सरकार स्वायत्त निकाय में रेल सेवक के आमेलन की तारीख तक प्रदान की गई सेवा के लिए पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए एकमुश्त भुगतान करके सरकार अपने पेंशन दायित्व का निर्वहन करेगी।

(16) पेंशन के लाभों के भुगतान में स्वायत्त निकाय द्वारा अपने वित्तीय दायित्व की भागीदारी के तरीके का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(17) पेंशन की एकमुश्त राशि का निर्धारण रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1993 के परिशिष्ट में दी गई मूल्य तालिका के अनुसार किया जाएगा ।

(18) स्वायत्त निकाय के संबंधित कर्मचारी द्वारा उस उपक्रम में दी गई सेवा के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर पेंशन निधि में पेंशन योगदान करेगा जिससे कि पेंशन निधि में मदद मिलेगी ।

(19) यदि, किसी भी वित्तीय अथवा प्रचालनिक कारणों से, ट्रस्ट पेंशन फंड से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम है तथा स्वायत्त निकाय भी कमी को पूरा करने की स्थिति में न हो तब सरकार ऐसे खर्चे का वहन करने के लिए दायी होगी तथा ऐसा खर्चा फंड अथवा स्वायत्त निकाय को डेबिट किया जाएगा ।

(20) रेल विभाग के पेंशनभोगियों को पेंशन के लाभ का भुगतान उसके स्वायत्त निकाय में बदलने की तारीख से सरकार का कर्तव्य होगा तथा इस संबंध में उसके कर्तव्यों को बांटने का तरीका भी सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा ।

(21) रेलवे विभाग के स्वायत्त निकाय में परिवर्तित हो जाने पर -

(क) स्वायत्त निकाय में आमेलन हो जाने के बाद आमेलित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में शेष राशि को ऐसे उपक्रम की सहमति से उपक्रम के कर्मचारियों के नए भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा;

(ख) आमेलन की तारीख तक कर्मचारियों के खाते में बचे अर्जित अवकाश और अर्ध-वैतनिक अवकाश ऐसे उपक्रम में स्थानांतरित हो जाएंगी;

(ग) किसी भी कर्मचारी का उपक्रम में आमेलन हो जाने के बाद स्वायत्त निकाय की सेवा से किसी भी कदाचार के कारण बर्खास्त अथवा हटाए जाने के बाद भी रेल में प्रदान की गई सेवा के सेवानिवृत्ति के लाभों को जब्त नहीं किया जाएगा और उसके बर्खास्तगी, हटाए जाने अथवा छंटनी हो जाने पर, उपक्रम के निर्णय की समीक्षा उपक्रम के साथ रेल मंत्रालय के अधीन होगी ।

(22) यदि सरकार किसी भी स्वायत्त निकाय से इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक अपनी इक्विटी का विनिवेश कर लेती है, तब ऐसे स्वायत्त निकाय आमेलित कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु वह पर्याप्त संरक्षण विनिर्दिष्ट करेगी ।

(23) उपरोक्त संरक्षण में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा उपक्रम में सेवा बहाली अथवा रेल सेवकों या स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों पर लागू नियमों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कर्मचारी के विकल्प के अनुसार और अर्जित पेंशन के लाभों का आश्वासित भुगतान, अर्हक सेवा की अवधि में छूट के साथ, जैसा भी सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए, का विकल्प शामिल होना चाहिए ।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.09.13 का पत्र सं. 2011/एफ(ई) III/1(1)9)

2.8 <u>अशक्तता पेंशन</u>

अशक्तता पेंशन- (1) अशक्तता पेंशन ऐसे रेल सेवक को प्रदान की जा सकेगी जो किसी ऐसी शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होता है जो उसे सेवा के लिए स्थायी तौर पर असमर्थ बना देती है ।

(2) अशक्त पेंशन के लिए आवेदन करने वाला रेल सेवक शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण सेवा करने की अपनी स्थायी असमर्थता का एक चिकित्सा प्रमाणपत्र विधिवत गठित चिकित्सा प्राधिकारी से लेकर प्रस्तुत करेगा ।

(3) जहां उपरोक्त निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी ने किसी रेल सेवक के बारे में यह घोषणा की है कि वह जिस प्रकृति का कार्य करता रहा है उससे कम श्रमसाध्य प्रकृति की सेवा और आगे करने के योग्य है वहां ऐसा रेल सेवक यदि वह इस प्रकार नियोजित होने के लिए इच्छुक है, निम्नतर पद पर नियोजित किया जाना चाहिए और यदि किसी निम्नतर पद पर नियोजित करने के कोई साधन नहीं है तो उसे अशक्त पेंशन दी जा सकती है ।

(4) यदि कोई रेल सेवक यह समझता है कि वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उचित अथवा स्वस्थ स्थिति में नहीं है तो वह अशक्त उपदान या पेंशन पर सेवानिवृत्ति के लिए समुचित प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है ।

2.9 प्रतिकर पेंशन

यदि कोई रेल सेवक अपने स्थायी पद के समाप्त हो जाने के कारण डिस्चार्ज किए जाने के लिए चुना जाता है तो, जब तक कि वह किसी अन्य ऐसे पद पर नियुक्त नहीं कर दिया जाता जिसकी शर्तें उसे डिस्चार्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम उस रेल सेवक के पद की शर्तों के समतुल्य समझी जाएं, उसे यह विकल्प होगा कि -

(क) ऐसी प्रतिकर पेंशन लेने का विकल्प प्राप्त होगा जिसके लिए वह अपने द्वारा की गई सेवा के लिए हकदार हो, अथवा

(ख) ऐसे वेतन पर जिसे देने का प्रस्ताव किया जाए कोई अन्य नियुक्ति स्वीकार करने और अपने पहले की सेवा की गणना पेंशन के लिए करते रहने का विकल्प हो ।

(2)(क) स्थायी नियोजन में रेल सेवक को, उसके स्थायी पद के समाप्त हो जाने पर उसकी सेवाएं समाप्त करने से पूर्व कम से कम तीन मास की सूचना दी जाएगी ।

(ख) जहां कि रेल सेवक को कम से कम तीन मास की सूचना नहीं दी जाती और जिस तारीख को रेल सेवक की सेवाएं समाप्त की जाती हैं उस तारीख को उसके लिए किसी अन्य नियोजन की व्यवस्था नहीं की जाती वहां उसकी सेवाएं समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सूचना में वस्तुत: दी गई तीन मास से कम की उतनी अवधि के वेतन और भत्ते से अनधिक रकम का, दिया जाना मंजूर कर सकेगा ।

(ग) उस अवधि के लिए, जिसकी बाबत उस सूचना के बदले वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, कोई प्रतिकर पेंशन संदेय नहीं होगी ।

(3) ऐसी दशा में, जिसमें रेल सेवक को उस अवधि के लिए जिसके लिए उसे नोटिस दिया गया है के लिए, वेतन और भत्ते प्रदान कर दिए जाते हैं और वह अवधि 3 महीने से कम होती है और उसे उस अवधि के अवसान के पूर्व जिसके लिए उसे वेतन और भत्ते मिल गए हैं , पुन: नियोजित कर लिया जाता है, वह अपने पुन: नियोजन के बाद की अवधि के लिए इस प्रकार वेतन और भत्तों को लौटा देगा ।

(4) यदि कोई रेल सेवक, जो प्रतिकर पेंशन पाने का हकदार है, उसके बजाय रेल प्रशासन के अधीन कोई अन्य नियुक्ति स्वीकार कर लेता है और तत्पश्चात किसी वर्ग की पेंशन प्राप्त करने का

हकदार हो जाता है तो ऐसी पेंशन की रकम उस पेंशन की रकम से कम नहीं होगी, जिसका दावा वह उस दशा में कर सकता था यदि उसने उस नियुक्ति को स्वीकार नहीं किया होता ।

3.0 अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन

अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन- (1) शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त किए गए रेल सेवक को, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा, पेंशन या उपदान या दोनों ही की, ऐसी दर पर जो प्रतिकर पेंशन या उपदान या दोनों ही की, जो उसे उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय हो, दो-तिहाई से कम किंतु ऐसी प्रतिकर पेंशन या उपदान से अधिक न हो, मंज़ूरी दी जा सकेगी ।

(2) जब कभी किसी रेल सेवक के मामले में राष्ट्रपति ऐसा कोई आदेश (चाहे वह मूल आदेश हो, या अपील आदेश हो या पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई आदेश हो) पारित करता है जिसमें इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पूरी प्रतिकर पेंशन से कम पेंशन दी जाती है तब ऐसा आदेश पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण : - इस उप नियम में "पेंशन" शब्द के अंतर्गत "उपदान" भी शामिल है ।

(3) यथास्थिति, (1) या (2) के अधीन प्रदत्त या दी गई पेंशन 01.01.2016 से 9000 रुपए प्रतिमास से कम नहीं होगी ।

3.1 अनुकंपा भत्ता

अनुकंपा भत्ता - (1) ऐसे रेल सेवक की, जिसे सेवा से पदच्यूत किया गया है या हटा दिया गया है, पेंशन और उपदान समपहृत हो जाएगा :

परंतु उसे सेवा से पदच्यूत करने या हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी यदि वह मामला ऐसा हो कि उस पर विशेष विचार किया जा सकता हो तो, ऐसी पेंशन या उपदान या दोनों की दो-तिहाई से अनधिक ऐसा अनुकंपा भत्ता मंजूर कर सकेगा जो उसे उस समय अनुज्ञेय होता जब वह प्रतिकर पेंशन पर सेवानिवृत्त होता ।

(2) (1) के अंतर्गत मंज़ूर किया गया अनुकंपा भत्ता 9000 रुपए प्रतिमास से कम नहीं होगा ।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 12.08.2016 का पत्र सं. 2016/एफ(ई)III/1(1)8)

सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान

1. सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान

सेवानिवृत्ति उपदान अथवा मृत्यु उपदान - (1) (क) ऐसे रेल सेवकों के मामले में जिन्होंने पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, और पेंशन नियमों के तहत सेवा उपदान अथवा पेंशन के लिए पात्र बन गए हैं को उसकी सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति उपदान संदत किया जाएगा जो अर्हक सेवा की प्रत्येक संपूरित छह माह की अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों के एक चौथाई के बराबर होगा किंतु यह उपदान उसकी परिलब्धियों का अधिक से अधिक साढ़े सोलह गुना होगा और उपदान परिकलित करने के लिए गणना करने योग्य परिलब्धियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(ख) यदि सेवारत किसी रेल सेवक की मृत्यु हो जाती है तो कुटुंब को मृत्यु उपदान की राशि का भुगतान नीचे तालिका में दिए गए तरीके के अनुसार किया जाएगा:-

तालिका

अर्हक सेवा की अवधि	उपदान की दर
एक वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का दुगुना
एक वर्ष या अधिक किंतु पांच वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का छह गुना
पांच वर्ष या अधिक किंतु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का बारह गुना
11 वर्ष या अधिक किंतु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का बीस गुना
20 वर्ष या अधिक	अर्हक सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही अवधि के लिए आधे माह की परिलब्धियां परंतु परिलब्धियों का अधिकतम 33 गुना।

(प्राधिकारः रेलवे बोर्ड के दिनांक 12.08.2016 के पत्र सं. 2016/एफ (ई) III/1(1)8 का पैरा 6.1)

सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की अधिकतम सीमा 20 लाख रु. होगी। जब भी मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 50% तक बढ़ेगा उपदान की उच्चतम सीमा 25% बढ़ जाएगी।

परंतु यह कि जहां सेवानिवृत्ति या मृत्यु उपदान की अंतिम रूप से परिकलित रकम को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा।

(2) यदि किसी रेल सेवक, जो सेवा उपदान या पेंशन का पात्र हो चुका है, अपनी सेवानिवृत्ति, जिसके अंतर्गत शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी है, की तारीख से पांच वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है और ऐसे उपदान या पेंशन, जिसके अंतर्गत तदर्थ वृद्धि यदि कोई हो, भी है उसकी मृत्यु के समय उसके द्वारा वस्तुतः प्राप्त धनराशि और साथ ही अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान और उसके द्वारा संराशित पेंशन के किसी भी भाग का संराशित मूल्य उसकी परिलब्धियों की बारह गुना रकम से कम है तो जितनी रकम कम होगी उसके बराबर अधिशेष उपदान नियमों में दिए गए तरीके से उसके कुटुंब को दिया जा सकता है।

(3) इस नियम के अधीन अनुज्ञेय उपदान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों की गणना नियम 49 के अनुसार की जाएगी;

परंतु यदि किसी रेल सेवक की परिलब्धियां उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान, शास्तिस्वरूप कम किए जाने से अन्यथा कम कर दी गई है तो नियम 50 में यथानिर्दिष्ट औसत परिलब्धियों को परिलब्धियां माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त इस नियम के लिए सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु की तारीख, जैसा भी मामला हो, को अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता परिलब्धियों के रूप में माना जाएगा।

(प्राधिकारः रेलवे बोर्ड का दिनांक 23.09.2013 का पत्र सं. 2011/एफ (ई) III/1(1)9)

<u>कुटुंब</u>

1.1 सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए, रेल सेवक के संबंध में 'कुटुंब' से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(i) पुरुष रेल सेवक की दशा में, पत्नी या पत्नियां जिसके अंतर्गत कानूनी रूप से अलग पत्नी या पत्नियां भी हैं।
(ii) स्त्री रेल सेवक की दशा में, पति जिसके अंतर्गत कानूनी रूप से अलग पति भी है।
(iii) पुत्र, तथा सौतेले पुत्र और गोद लिया पुत्र भी शामिल हैं।
(iv) अविवाहित पुत्रियां, तथा सौतेली पुत्रियां और गोद ली पुत्रियां भी शामिल हैं।
(v) विधवा पुत्रियां, तथा सौतेली पुत्रियां और गोद ली पुत्रियां भी शामिल हैं।
(vi) पिता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनकी स्वीय विधि दत्तकग्रहण की अनुमति देती है, दत्तक पिता-माता भी हैं।
(vii) माता।

(viii) अट्ठारह वर्ष से कम आयु के भाई, तथा सौतेले भाई भी शामिल हैं।
(ix) अविवाहित बहनें और विधवा बहनें, तथा सौतेली बहनें भी शामिल हैं।
(x) विवाहित पुत्रियां।
(xi) पूर्व-मृत पुत्र की संतान।

2. **वे व्यक्ति जिन्हें उपदान संदेय है:-**

वे व्यक्ति जिन्हें उपदान संदेय है - (1) (क) पेंशन नियमों के अधीन संदेय उपदान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें उपदान प्राप्त करने का अधिकार नियमों के अधीन नाम-निर्देशन द्वारा प्रदत्त किया गया है;

(ख) यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है या यदि किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो उपदान नीचे उपदर्शित रीति से दिया जाएगाः-

(i) यदि पैरा 1.1 के मद (i), (ii), (iii), (iv) और (v) में यथावर्णित कुटुंब के एक या अधिक सदस्य उत्तरजीवी हों तो ऐसे सभी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में;

(ii) यदि उपर्युक्त मद (i) में यथावर्णित कुटुंब के ऐसे कोई भी सदस्य उत्तरजीवी नहीं हैं किंतु पैरा 1.1 के मद (vi), (vii), (ix), (x) और (xi) में दिए गए एक या अधिक सदस्य उत्तरजीवी हैं तो ऐसे सभी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में।

(2) यदि रेल सेवक की मृत्यु नियमों के अधीन अनुज्ञेय उपदान प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाती हे तो उपदान, उपर्युक्त में उपदर्शित रीति से कुटुंब को संवितरित कर दिया जाएगा।

(3) ऐसे रेल सेवक के, जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाती है, कुटुंब के सभी सदस्य या भाई का उपदान के किसी अंश को पाने के अधिकार पर उस दशा में प्रभाव नहीं पड़ेगा जब सरकारी सेवक की मृत्यु के पश्चात् और उपदान के अपने अंश को प्राप्त करने से पूर्व वह स्त्री सदस्य विवाह कर लेती है अथवा पुनर्विवाह कर लेती है अथवा भाई अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है।

(4) जहां कि मृत रेल सेवक के कुटुंब के किसी अवयस्क सदस्य को कोई उपदान मंजूर किया जाए वहां वह उस अवस्यक के निमित संरक्षक को संदेय होगा।

नाम निर्देशिती

(1) रेल सेवक किसी सेवा या पद में उसकी प्रारंभिक स्थायीकरण में एक नामनिर्देशन करेगा जिसमें मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान प्राप्त करने का अधिकार एक या अधिक व्यक्तियों को प्रदत किया जाएगा।

(प्राधिकारः फाइल सं. 2015/एफ(ई)III/1(1)/4 दिनांक 17.06.16...........आरबी सं. 70)

बशर्ते कि नामनिर्देशन करते समय -

(i) यदि रेल सेवक का कोई कुटुंब है तो नामनिर्देशन उसके कुटुंब के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा, या

(ii) यदि रेल सेवक का कोई कुटुंब नहीं है तो नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय चाहे वह निगमित हो या न हों, के पक्ष में किया जा सकता है।

(2) यदि रेल सेवक एक से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन करता है तो वह नामनिर्देशन में नाम-निर्देशतियों में से प्रत्येक को संदेय अंश की रकम इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत उपदान की सारी रकम आ जाए।

(3) रेल सेवक नामनिर्देशन में -

(i) यह उपबंध कर सकेगा कि ऐसे किसी विनिर्दिष्ट नाम निर्देशिती की बाबत जिसकी मृत्यु रेल सेवक से पहले ही हो जाए अथवा जिसकी मृत्यु रेल सेवक की मृत्यु के पश्चात् किंतु उपदान की रकम प्राप्त किए बिना ही हो जाए तो उस नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को चला जाएगा जिसे नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किया जाए।

परंतु यदि नामनिर्देशन करते समय रेल सेवक का कोई ऐसा कुटुंब हो जिनमें एक से अधिक सदस्य हों तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके कुटुंब के सदस्य से भिन्न व्यक्ति नहीं होगा।

परंतु यह और कि जहां किसी रेल सेवक के अपने कुटुंब में केवल एक ही सदस्य हो और नामनिर्देशन उसी के पक्ष में किया गया हो वहां रेल सेवक किसी अन्य व्यक्ति के या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में चाहे वह निगमित हो या न हो, वैकल्पिक नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों का नामनिर्देशन के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) यह उपबंध कर सकेगा कि उसमें दी गई किसी आकस्मिकता के घटित होने पर वह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

(4) उपर्युक्त (3) के खंड (1) के दूसरे नियम के अंतर्गत ऐसे रेल सेवक द्वारा, जिसका नामनिर्देशन करते समय कोई कुटुंब न हो, किया गया नामनिर्देशन रेल सेवक द्वारा उस दशा में जबकि उसके कुटुंब में एक ही सदस्य हो, अविधिमान्य हो जाएगा जब उस रेल सेवक का, यथास्थिति, बाद में कोई कुटुंब हो जाए अथवा उसके कुटुंब में कोई और सदस्य आ जाए।

(5) रेल सेवक (7) में उल्लिखित प्राधिकारी को लिखित सूचना भेजकर नामनिर्देशन किसी भी समय रद्द कर सकता है:

बशर्ते कि वह नियमों के अनुसार किया गया नया नामनिर्देशन ऐसी सूचना के साथ भेजेगा।

(6) ऐसे नामनिर्देशिती की, जिसके नामनिर्देशन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है, मृत्यु होते ही अथवा ऐसी कोई घटना घटित होने पर, जिसके कारण नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाए रेल सेवक एक लिखित सूचना भेजेगा जिसमें वह नामनिर्देशन को रद्द कर देगा और साथ ही नया नामनिर्देशन भेज देगा।

(7) (क) इन नियमों के अधीन रेल सेवक द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और रद्दकरण की प्रत्येक सूचना रेल सेवक द्वारा, राजपत्रित रेल सेवक होने की दशा में उसके लेखा अधिकारी को और अराजपत्रित रेल सेवक होने की दशा में उसके कार्यालय के प्रधान को भेजी जाएगी।

(ख) अराजपत्रित रेल सेवक से नामनिर्देशन के प्राप्त होते ही कार्यालय का प्रधान उस पर तुरंत प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसको प्राप्त करने की तारीख उपवर्णित करेगा और इस प्रयोजन के लिए उसे अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तरदायी अधिकारी के पास रखेगा और यथास्थिति रेल सेवक के सेवा अभिलेख या सेवा पुस्तक में यह स्पष्ट टिप्पणी करेगा कि कौन-कौन से नामनिर्देशन और उससे संबंधित सूचनाएं उससे प्राप्त की गई हैं और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है एवं संबंधित रेल सेवक के प्रति अभिस्वीकृत, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि उस द्वारा किए गए नामनिर्देशन तथा संबंधित सूचना सम्यकतः प्राप्त हो गई हैं और वे अभिलेख में दर्ज कर लिए गए हैं, प्रत्येक रेल सेवक को, जो कोई नामनिर्देशन करता है या रद्दकरण करता है, अराजपत्रित रेल सेवकों की दशा में लेखा अधिकारी द्वारा और राजपत्रित रेल सेवकों की दशा में कार्यालय के प्रधान द्वारा सदैव भेजा जाए।

टिप्पणी:- अराजपत्रित रेल सेवकों द्वारा भेजे गए नामनिर्देशन प्रारूप पर प्रतिहस्ताक्षर करने की शक्ति कार्यालय के प्रधान द्वारा अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को प्रत्यायोजित की जा सकती है।

(8) रेल सेवक द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और रद्दकरण के लिए दी गई प्रत्येक सूचना, उस सीमा तक जिस तक वह विधिमान्य है, उस तारीख से प्रभावी होगी जिस को वह वर्णित प्राधिकारी को प्राप्त होगी।

मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान का व्यपगत होना -

जहां किसी रेल सेवक की मृत्यु, सेवा में रहते हुए, या सेवानिवृत्ति के पश्चात् उपदान की रकम प्राप्त किए बिना, हो जाती है और वह अपने पीछे कोई कुटुंब नहीं छोड़ा है, और -

(क) उसने कोई नामनिर्देशन नही किया है या

(ख) उसके द्वारा किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है वहां ऐसे रेल सेवक की बाबत, इन नियमों के अधीन, संदेय मृत्यु सह निवृत्ति उपदान की रकम सरकार को व्यपगत हो जाएगी। बशर्ते कि मृत्यु उपदान या सेवानिवृत्ति उपदान की रकम उस व्यक्ति को संदेय होगी जिसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है।

भाग III

पेंशन

समय-समय पर पेंशन से संबंधित मामलों पर जारी किए गए विभिन्न आदेश

2. रेलवे बोर्ड के दिनांक 16.11.1957 के पत्र सं. एफ(ई)50/आरटी1/6 के तहत रेलों में पेंशन योजना लागू किए जाने पर उस समय के प्रवृत्त पेंशन नियमों को भी रेलों पर परिपत्रित किया गया था। पेंशन नियमों के अनुसार, पेंशन और/अथवा उपदान निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञेय था।

(क) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति
(ख) चिकित्सीय अशक्तता पर सेवानिवृत्ति
(ग) 30 वर्ष की अर्हता सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति
(घ) पद की समाप्ति पर

3. अंतिम रूप से निर्धारित की गई पेंशन की रकम पूर्ण रुपए में व्यक्त की जाएगी और जहां पेंशन में रुपए का अंश शामिल है वहां अगले उच्चतर रुपए पर पूर्णांकित की जाएगी।

यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि अगले उच्चतर रुपए पर पूर्णांकित किए जाने वाले पेंशन के लिए आदेश पेंशन के सभी मामलों में लागू हैं जिसमें असाधारण पेंशन और अनुकंपा भत्ता, जो पेंशन के स्वरूप में है, भी शामिल है।

(पत्र सं. एफ(पी) 66 पीएन1/13 दिनांक 7.4.1966, 14.4.1967 एवं 21.12.67)

4. मूल पेंशन और बढ़ी हुई पेंशन के अंतर पर अनुमत सरांशीकरण का लाभ तथा मंहगाई भत्ते, जिसे मंहगाई वेतन माना जाता है, के एक अंश के परिणामस्वरूप तय किया गया है

(पत्र सं. एफ(ई) III 70 पीएन1/28 दिनांक 21.10.1971)

5. वह पेंशन जिसमें अनुकंपा भत्ता शामिल है न्यूनतम अनुज्ञेय पेंशन से कम नही होगी।

(पत्र सं. एफ(ई) III 70 पीएन1/16 दिनांक 1.4.1972 एवं एफ(ई) III 75 पीएन 1/19 दिनांक 27.3.1976)

6. 1.1.1973 से लागू-
उपदान पर 15 माह की परिलब्धियों की अपेक्षा 16.1/2 माह की परिलब्धियों की दर संदेय होगी;

पेंशन निश्चित करने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा 60 संपूरित छह मास की अवधि से बढ़ाकर 66 छह मास की अवधि कर दिया गया तथा अशक्तता पेंशन मृत रेल सेवक के कुटुंब को संदेय कुटुंब पेंशन की रकम से कम नहीं होगी।

(पत्र सं. एफ(ई) III 74 पीएन1/3 दिनांक 2.1.1974)

7. 1.1.1973 को एवं उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले श्रेणी II, III एवं IV के रेल सेवकों को पेंशन राहत देने के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थी।

(पत्र सं. पीसीIII/73/पीएन/3 दिनांक 5.4.1974)

8. 1.1.1973 से पहले के पेंशनभोगियों को भी पेंशन राहत दी गई थी।

(पत्र सं. एफ(ई) III/73 पीएन1/17 दिनांक 15.5.1974)

9. श्रेणी I के अधिकारियों को पेंशन राहत दी गई थी।

(पत्र सं. पीसीIII/73/पीएन/3 दिनांक 18.7.1974)

10. जहां रेल कर्मचारी ने 1.1.1973 के बाद की किसी तारीख से रेल सेवक (संशोधित वेतन) नियम 1973 का विकल्प दिया हो तो 31.12.1972 को लागू महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत और संशोधित वेतनमान का विकल्प देने की तारीख तक रेल सेवक द्वारा प्राप्त की गई उक्त राशियों को पेंशनी प्रयोजनों के लिए परिलब्धियों के रूप में माना गया था।

(पत्र सं. पीसी III 73/पीएन/3 दिनांक 9.9.1974)

11. अनुकंपा भत्ते पर स्वीकार्य पेंशन राहत के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए गए थे।

(पत्र सं. एफ(ई) III 73 पीएन1/17 दिनांक 2.2.1976)

12. राज्य सरकार से एक और पेंशन पा रहे रेल पेंशनभोगी के मामले में रेलवे द्वारा यथा स्वीकृत पेंशन की रकम पर रेलवे पेंशन राहत संदत की जाएगी। यदि राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन पर राहत का भुगतान करता है तो रेलवे को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(पत्र सं. एफ(ई) III 74 पीएन1/16 दिनांक 27.2.1976)

13. सेवानिवृत्त हो रहे रेल सेवकों जिनके विरूद्ध विभागीय न्यायिक कार्यवाही की गई थी अथवा चल रही है को सेवानिवृत्ति के बाद अनंतिम पेंशन का भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

(पत्र सं. एफ(ई) III 78 पीएन1/11 दिनांक 17.5.1978)

14. 31.3.1979 को एवं उसके बाद सेवानिवृत्त हो रहे रेल सेवकों के संबंध में, पेंशन फार्मूला के उदारीकरण के तहत स्लैब प्रणाली लागू की गई थी। 1000/- रु. की अधिकतम पेंशन के स्थान पर राहत के साथ अधिकतम पेंशन 1500/- रु. प्रति माह बढ़ाई गई थी।

(पत्र सं. एफ(ई) III/79/पीएन1/4 दिनांक 1.6.1979)

15. भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द II के परिशिष्ट XIII में नियम 2534, 2809, 2815, 2303, 2308/क और फार्म 30-घ में सक्षम प्राधिकारी को यह प्राधिकार देते हैं कि वे असंतोषजनक सेवा रिकॉर्ड के आधार पर पेंशनी लाभों में कमी कर दें।

(पत्र सं. एफ(ई) III 80 पीएन1/19 दिनांक 18.11.1980)

16. अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त रेल सेवक अथवा 20 वर्ष की अस्थायी सेवा प्रदान करने के बाद उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम घोषित कर दिए रेल सेवकों को पेंशन, उपदान तथा कुटुंब पेंशन की अनुमित होगी। अब तक केवल स्थायी रेल सेवक को पेंशन स्वीकार्य थी। ये आदेश ऐसे रेल सेवकों के संबंध में लागू किए गए थे जो 31.12.1980 को सेवा में थे।

(पत्र सं. एफ(ई) III 78 पीएन1/3 दिनांक 21.12.1981)

17. अर्हक सेवा की अवधि परिकलित करने के लिए तीन माह या अधिक के बराबर वर्ष के भाग को एक संपूरित आधा वर्ष माना जाएगा और पेंशन की रकम निश्चित करने के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा।

(पत्र सं. एफ(ई) III 79 पीएन1/10 दिनांक 25.8.1983)

18. पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर पेंशन के बकाया उसके नामनिर्देशिती को संदेय हैं। रेल सेवक को सेवानिवृत्ति के समय नामांकन प्रस्तुत करना होगा।

(पत्र सं. एफ(ई) III 83 पीएन1/25 दिनांक 21.11.1983, 3.9.1984 एवं 26.2.1986).

19. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप उदारीकृत पेंशन फार्मूले का लाभ, ऐसे सभी पेंशनभोगियों को दिया गया था जो 1.4.1979 को अधिवर्षिता, सेवानिवृत्त प्रतिकर तथा अशक्तता पेंशन तथा अनुकंपा भत्ता भी प्राप्त कर रहे थे। उक्त फार्मूला, 33 वर्ष की अर्हक सेवा के संदर्भ में पेंशन निर्धारण के लिए अंतिम 10 माह (ख) के दौरान प्राप्त कर रहे परिलब्धियों के आधार पर औसत परिलब्धियों के सरांशीकरण के लिए तथा औसत परिलब्धियों द्वारा पेंशन के सरांशीकरण में स्लैब प्रणाली को लागू करने तथा अधिकतम पेंशन 1500 रु. प्रतिमाह तक प्रतिबंधित करने के लिए दिया गया था।

(पत्र सं. एफ(ई) III पीएन1/8 दिनांक 29.11.1983, 8.5.1984 एवं 6.3.1986).

20. 1.8.1981 को तथा उसके बाद सेवानिवृत्त हो रहे रनिंग कर्मचारी के मामले में 55 प्रतिशत वेतन तत्व सेवानिवृत्ति प्रयोजनों के लिए परिलब्धियों के रूप में गिने जाने की अनुमति होगी।

(पत्र सं. ई(पीएंडए)II-82/आरएस-7 दिनांक 5.6.1984)

21. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 66 के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रणाली अर्थात् 30 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद, जो आईटीडीसी में नियुक्ति पर है, सरकार के विदेशी पदों में विदेश में तैनात है तथा जो विदेशी सरकारों में नियुक्ति पर हैं, के लिए लागू नहीं होगी।

(पत्र सं. एफ(ई) III 85 पीएन1/21 दिनांक 19.9.1985)

22. 01.01.2016 से न्यूनतम पेंशन (अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/अशक्तता/अनुकंपा) अथवा कुटुंब पेंशन 9000/- रु. प्रति माह निर्धारित की गई है।

(पत्र सं. 2016/एफ(ई)III/1(1)/8 दिनांक 12.8.2016)

23. 28.10.1987 से, नियम 2423-ए/आरII के अंतर्गत सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ उनके लिए स्वीकार्य होगा जो 31.3.1960 के बाद सेवा अथवा पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 45 में दिया गया यह लाभ 01.01.2006 से हटा दिया गया है।

(पत्र सं.एफ(ई) III 87पीएन1/21 दिनांक 4.12.1987 एफ(ई) III/92/पीएन1/8 दिनांक20.4.1992).

24. 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत्त व्यक्तियों का कुटुंब, जिनकी अस्थायी सेवा 10 वर्ष से कम नहीं और पेंशन के लिए पात्र नहीं थे, को कुटुंब पेंशन देने के लिए पात्र बनाया गया था।

(पत्र सं. एफ(ई) III 86 पीएन1/4 दिनांक 2.3.1988)

25. पेंशनभोगी को वर्ष में एक बार अर्थात् प्रत्येक वर्ष नवंबर के माह में नियोजन या नियोजन/पुनर्नियोजन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है जब तक ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक नवंबर या उससे आगे के माह के लिए पेंशन का संवितरण नहीं किया जाएगा।

(पत्र सं. एफ(ई) III/88/पीएन 1/21 दिनांक 9.8.1988)

भाग III (ख)

उपदान

उपदान से संबंधित निम्नलिखित आदेश समय-समय पर जारी किए गए थे।

2. डीसीआरजी के लिए पात्रता, स्वीकार्य रकम तथा डीसीजीआर आदि प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों के संबंध में उपबंध पेंशन नियमों में दिए गए थे जो 16.11.57 के पत्र सं. एफ(पी)50आरटी1/6 द्वारा रेलों पर पेंशन प्रणाली के शुरू करने के समय परिपत्रित किए गए थे।
3. स्थायी रेल सेवक को डीसीआरजी के भुगतान के लिए नाम-निर्देशन करना अपेक्षित है।

(पत्र सं. एफ(पी)58 पीएन1/5 III दिनांक 31.10.1958 एवं एफ(पी)59 पीएन 1/1 दिनांक5/17.2.1960).

4. सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनभोगी को डीसीआरजी के भुगतान के लिए नाम-निर्देशन करने की अनुमति नहीं है।

(पत्र सं. एफ(पी) 58 पीएन 1/5 दिनांक 10.2.1959)

5. जहां डीसीआरजी तथा पेंशन के संराशित भाग के साथ साधारण उपदान/पेंशन की रकम, यदि कोई हो, परिलब्धियों की बारह गुणे से कम थी तो परिलब्धियों के बारह गुणे और प्राप्त रकम के बीच कमी को अवशिष्ट उपदान से पूरा किया जाएगा बशर्ते रेल सेवक की उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 5 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है।

(पत्र सं. एफ(पी) 58 पीएन 1/5 IV दिनांक 28.5.1959)

6. ऐसा अस्थायी रेल सेवक, जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो जाता है या चिकित्सीय दृष्टि से अशक्त घोषित कर दिया जाता है या प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की छंटनी के फलस्वरूप सेवा से कार्यमुक्त कर दिया जाता है, को अंतिम उपदान संदत्त है। सेवा उपदान/मृत्यु उपदान देने के लिए मान और उच्चतर सीमा निम्नलिखित आदेशों में निर्दिष्ट है।

(पत्र सं. पीसी 60 आरबी-8/1 दिनांक 31.10.1960
पीसी 60 आरबी-2/3 दिनांक 8.11.1960
एफ(पी) 62 पीएन-1/4 दिनांक 12.1.1962
एफ(पी) 66 पीएन 1-21 दिनांक 31.5.1967)

7. मंत्री/उपमंत्रियों के स्वविवेक पर नियुक्त मंत्री या उपमंत्री के वैयक्तिक कर्मचारी और जो अपनी नियुक्ति की तारीख को सरकारी सेवक नहीं हैं वे अस्थायी कर्मचारियों को यथा स्वीकार्य डीसीआरजी एवं कुटुंब पेंशन के भुगतान के लिए पात्र हैं।

(पत्र सं. एफ(पी) 64 पीएन 1/22 दिनांक 27.7.1961)

8. "कुटुंब" शब्द में दत्तक/सौतेले बच्चों को शामिल किए जाने पर वे अंतिम/मृत्यु उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। "माता और पिता" शब्द में ऐसे दत्तक माता-पिता को भी शामिल किया जाएगा जिनका निजी कानून ऐसे दत्तक ग्रहण की अनुमति देता है। उपदान के भुगतान के लिए पात्र परिवार के सदस्यों का वरीयता क्रम आदेशों में दिया गया है।

(पत्र सं. एफ(पी) 64 पीएन 1/42 दिनांक 22.6.1966)

9. "सरकारी देय राशि" शब्द में, जिसकी डीसीआरजी से कटौती की जाएगी, प्रतिनियुक्ति के दौरान स्वायत्त संगठनों को रेल सेवक द्वारा संदेय देय राशि शामिल नहीं है। बहरहाल ऐसी देय राशि, रेल सेवक की व्यक्त सम्मति के साथ डीसीआरजी से वसूल की जाएगी।

(पत्र सं. एफ(ई) III 67 पीएन1/24 दिनांक 28.2.1968)

10. 22.7.1977 से, कुटुंब पेंशन प्रणाली 1964 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कुटुंब पेंशन के लिए अंशदान के रूप में डीसीआरजी से कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(पत्र सं. एफ(ई) III 76 पीएन1/23 दिनांक 6.10.1977)

11. उपदान, अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर परिकलित किया जाएगा न कि औसत परिलब्धियों के आधार पर उपयुक्त मंहगाई वेतन को भी उपदान परिकलित करने के लिए लेखे में लिया जाएगा।

(पत्र सं.पीसी III/79/डीपी/1 दिनांक 26.9.1979)

12. जहां सेवानिवृत्ति की तारीख को रेल सेवक के खिलाफ अनुशासनिक एवं न्यायिक कार्यवाही लंबित है, कोई उपदान तब तक संदत्त नहीं होगा जब तक कार्यवाही के परिणाम न प्राप्त हों और इसके आदेश न जारी हों । कार्यवाही के परिणामस्वरूप डीसीआरजी के विलंबित संदाय पर ब्याज का संदाय किया जाएगा यदि रेल सेवक पूर्णतः आरोप मुक्त हो गया है। उपदान सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन पर भुगतान के लिए देय समझी जाएगी।

(पत्र सं. एफ(ई) III 79/पीएन 1/15 दिनांक 25.5.1983
पत्र सं. एफ(ई) III 79/पीएन 1/15 दिनांक 15.4.1991)

13. डीसीआरजी के विलंबित संदाय पर ब्याज स्वीकृत करने की शक्तियां महाप्रबंधकों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

(पत्र सं. एफ(ई) III 79 पीएन 1/15 दिनांक 23.1.1987)

14. 1.1.1973 से डीसीआरजी की अधिकतम सीमा 15 माह की परिलब्धियों से बढ़ाकर 16 ½ माह की परिलब्धियां कर दी गई थी।

(पत्र सं.पीसी III/73 पीएन/3 दिनांक 2.1.1974)

15. 01.01.2016 को तथा उसके बाद सेवानिवृत्त हो रहे रेल सेवकों के संबंध में संदेय उपदान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 20 लाख रु. कर दी गई थी। जब भी मंहगाई भत्ता मूल वेतन का 50% बढ़ेगा उपदान की उच्चतम सीमा 25% बढ़ जाएगी।

(पत्र सं. एफ(ई) III 82 पीएन 1/3 दिनांक 17.5.1985)

16. 12.2.1985 से डीसीआरजी की रकम और पेंशन के संराशित मूल्य को अंतिम रूप से परिकलित करने के लिए अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

(पत्र सं. एफ(ई) III 86 पीएन 1/3 दिनांक 4.2.1986)

17. 10 वर्ष से कम की अर्हक सेवा के लिए सेवा उपदान को सेवा भी प्रत्येक संपूरित छह मास की अवधि के लिए आधे माह की परिलब्धियों की एक समान दर पर परिकलित किया जाएगा।

(पत्र सं.पीसी-IV/87/आईएमपी/पीएन 1 दिनांक 15.4.1987)

18. राष्ट्रपति को, अगर पेंशनभोगी किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में उसकी सेवा अवधि के दौरान लापरवाही या कदाचार के लिए दोषी पाया जाता है जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन के बाद की गई सेवा भी शामिल है, पूर्णतः या अंशतः पेंशन या उपदान दोनों को रोकने या पूर्णतः या भागतः पेंशन चाहे वह स्थायी या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो, को वापस लेने तथा सरकार को हुई किसी आर्थिक हानि के लिए पेंशन या उपदान के पूरे भाग से वसूली, का अधिकार है। यहां पेंशन शब्द में उपदान शामिल है।

(संदर्भः एफ(ई)III/91/पीएन1/29 दिनांक 16.12.91 एवं एफ(ई)III/88/एलई1/1 दिनांक 7.8.89)

जी. प्रिया सुदर्शनी

(जी. प्रिया सुदर्शनी)
निदेशक, वित्त (स्था),
रेलवे बोर्ड।

MC No. 60 (2019)
RBE NO. 210/2019

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTY OF RAILWAY (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. D-43/16/2019-F(E)III **New Delhi, Dated 13.12.2019**

The GMs/Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units etc,
(As per mailing list)

Sub: Master Circular on Pension and Retirement/ Death Gratuity.

******

Master Circular No.60 on the concept of "Pension and Retirement/Death Gratuity" was last brought out and circulated vide Board's letter no. F(E)III/93/MC-4/Pension & DCRG dated 17.10.1994. Railway Board have now decided to issue a consolidated Revised Master Circular on the subject for the information and guidance of all concerned.

2. While referring to this circular, the original letters referred to herein should be read for a proper appreciation. This circular is only a consolidation of the instructions issued so far and should not be treated as a substitution to the originals. In case of doubt, the original circular should be relied upon as authority.

3. The instructions contained in the original circulars referred to above, have only prospective effect from the date of issue unless specifically indicated otherwise in the concerned circular. For dealing with old cases, the instructions in force at the relevant time should be referred to; and

4. If any circular on the subject, which has not been superseded, has not been taken into consideration while preparing this consolidated letter, the said circular, which has been missed through oversight, should be treated as valid and operative. Such, a missing circular, if any, may be brought to the notice of the Railway Board.

Part-I

PENSION

1. Eligibility to Pension and amount of pension

1.1 Pension is admissible to a permanent railway servant with a minimum of 10 years qualifying service on his quitting service on account of either abolition of post or medical invalidation or retirement on completion of 30 years service or superannuation. However, with effect from 1.1.1986, temporary railway servants retiring on

superannuation or on being declared permanently incapacitated for future railway service by the appropriate medical authority with 10 years qualifying service shall be eligible for superannuation/ invalid pension, retirement gratuity and family pension at the same scale as admissible to permanent employee. Temporary employees on seeking voluntary retirement after completion of 20 years service shall continue to be eligible for pension, retirement gratuity and family pension as per the scheme of Voluntary retirement.

1.2 Linkage of full pension with 33 years of qualifying service shall be dispensed w.e.f 01.01.2006. Once a Railway servant has rendered the minimum qualifying service of twenty years pension shall be paid at 50% of the emoluments or average emolument received during the last 10 months, whichever is more beneficial to him.

1.3 In the case of a railway servant retiring in accordance with the provisions of these rules after completing the qualifying service of not less than ten years, the amount of pension shall be calculated at fifty percent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to a minimum of Nine Thousand Rupees per mensem and a maximum of One Lac Twenty Five Thousand Rupees per mensem w.e.f 01.01.2016.

1.4 In addition to pension admissible in accordance with the provisions of para 1.3, after completion of eighty years of age and above, the additional pension shall be payable to a retired railway servant in the following manner, namely:—

Sl.No	**Age of Pensioner**	**Additional Pension**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	From 80 years to less than 85 years	20 percent of basic pension
2.	From 85 years to less than 90 years	30 percent of basic pension
3.	From 90 years to less than 95 years	40 percent of basic pension
4.	From 95 years to less than 100 years	50 percent of basic pension
5.	100 years or more	100 percent of basic pension

In calculating the length of qualifying service fraction, of a year equal to three months and above shall be treated as a completed one half year and reckoned as qualifying service.

1.5 The amount of pension finally determined under para 1.3 shall be expressed in whole rupees and where the pension contains a fraction of a rupee it shall be rounded off to the next higher rupee.

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F (E) III/1(1)9 dated 23.09.13)

2. Classes of Pension

2.1 Superannuation Pension - A superannuation pension shall be granted to a railway servant who is retired on his attaining the age of compulsory retirement. (Superannuation i.e. 60 years at present.)

2.2 Retirement on the last day of the month in which superannuation falls.

With effect from 1.11.1973 Railway servants in Group B, C & D services or posts and from 1.5.1974, Railway servants in Group A services or posts shall retire from service with effect from the afternoon of the last day of the month in which their date of retirement according to Rule

2046-RII falls without prejudice to clauses (h) (i) (k) and (l) of that Rule. (Corresponding Rules in 1987 edition of R-II Rules 1802 and 1804).

(Letter No. PCIII/73/RT/4 dt 18.12.1973, 20.5.1974 and 2.8.1974)

2.3 Retiring Pension

Retirement on completion of 30 years qualifying service –(1) At any time after a railway servant completed thirty years qualifying service –

(a) he may retire from service; or

(b) he may be required by the appointing authority to retire in the public interest, and in the case of such retirement the railway servant shall be entitled to a retiring pension:

Provided that –

(i) a railway servant shall give a notice in writing to the appointing authority at least three months before the date on which he wishes to retire; and

(ii) the appointing authority may also give a notice in writing to a railway servant at least three months before the date on which he is required to retire in the public interest or three months' pay and allowances in lieu of such notice:

Provided further that where the railway servant giving notice under clause (i) of the first provision is under suspension, it shall be open to the appointing authority to withheld permission to such railway servant to retire under this rule:

Provided also that the provisions of (a) above shall not apply to a railway servant, including Scientist or technical expert who is –

(i) on assignment under the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme of the Ministry of External Affairs and other aid programmes;

(ii) posted abroad in foreign based offices of the Ministries or Departments;

(iii) on a specific contract assignment to a foreign Government.

Unless after having been transferred to India, he has resumed the charge of the post in India and served for a period of not less than one year.

(2) (a) A railway servant referred to in (i) of the first proviso may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of less than three months giving reason there for;

(b) on receipt of a request under (a) the appointing authority may consider such request for curtailment of the period of notice of three months on merits and if it is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience, the appointing authority may relax the requirement of notice of three months on the condition that the railway servant shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the period of notice of three months.

(3) A railway servant who has elected to retire under this rule and has given the necessary intimation to that effect to the appointing authority shall be precluded from withdrawing his election subsequently except with the specific approval of such authority:

Provided that the request for withdrawal shall be within the intended date of his retirement.

Explanation – For the purpose of this rule, "appointing authority" means the authority which is competent to make appointments to the service or post from which the railway servant retires.

Retirement on completion of 20 years qualifying service – (1) At any time after a railway servant has completed twenty years' qualifying service, he may, by giving notice of not less than three months in writing to appointing authority retire from service:

Provided that this shall not apply to a railway servant including Scientists or technical expert who is –

(i) on assignment under the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme of the Ministry of External Affairs and other aid programmes;
(ii) Posted abroad in foreign based offices of the Ministries or Departments;
(iii) on a specific contract assignment to a foreign Government unless, after having been transferred to India, he has resumed the charge of a post in India and served for a period of not less than one year.

(2) The notice of voluntary retirement given under (1) shall require acceptance by the appointing authority:

Provided that where the appointing authority does not refuse to grant the permission for retirement before the expiry of the period specified in the said notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period.

(3)(a) A railway servant referred to in (1) may, make a request in writing to the appointing authority to accept notice of voluntary retirement of less than three months giving reasons therefor;

(b) On receipt of a request under clause 3 (a), the appointing authority subject to the provisions above, may consider such request for the curtailment of the period of notice of three months on merits and if it is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative in convenience, the appointing authority may relax the requirement of notice of three months on the condition that the railway servant shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the period of notice of three months.

(4) A railway servant, who has elected to retire under this rule and has given the necessary notice to that effect to the appointing authority, shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority:

Provided that the request for withdrawal shall be made before the intended date of his retirement.

(5) **Omitted (Authority: Railway Board's letter No. 2011/F (E) III/1(1)9dated 23.09.13)**

(6) This rule shall not apply to a railway servant who retires from railway service for being absorbed permanently in an autonomous body or a public sector undertaking to which he is on deputation at the time of seeking voluntary retirement.

Explanation – For the purpose of this rule, "appointing authority" means the authority which is competent to make appointments to the service or post from which the railway servant seeks voluntary retirement.

2.4 Clarification has been issued providing that whenever the officer/employee has more than three months service at the time of seeking retirement under Rule 67, the commutation will be payable after three months but where normal superannuation is within the notice period of three months, the date of superannuation will be the date to apply for commutation of a part of pension subject to fulfillment of all other conditions specified in this regard.

(Authority Letter No. 2016/F(E)III/1(1)/8 dated 25.04.2017)

2.5 Pension on absorption in or under a corporation company or Body

Pension on absorption in or under a corporation, company or body- (1) A railway servant who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a body controlled or financed by the Central Government or a State Government shall be deemed to have retired from service from the date of such absorption and subject to certain condition, he shall be eligible to receive retirement benefits, if any, from such date as may be determined, in accordance with the orders of the Railway applicable to him.

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)III/2003/PN1/25 dated 20.01.05)

2.6 Conditions for payment of pension on absorption consequent upon conversion of a Railway Department into a public sector undertaking.—

(1) On conversion of a Department of the Railway into a public sector undertaking, all railway servants of that Department shall be transferred en-masse to that public sector undertaking, on terms of foreign service without any deputation allowance till such time as they get absorbed in the said undertaking, and such transferred railway servants shall be absorbed in the public sector undertaking with effect from such date as may be notified by the Government.

(2) The Government shall allow the transferred railway servants an option to revert back to the railway or to seek permanent absorption in the public sector undertaking.

(3) The option referred to above shall be exercised by every transferred railway servant in such manner and within such period as may be specified by the Government.

(4) The permanent absorption of the railway servants as employees of the public sector undertaking shall take effect from the date on which their options are accepted by the Government and on and from the date of such acceptance, such employees shall cease to be Government servants and they shall be deemed to have retired from railway service.

(5) Upon absorption of railway servants in the public sector undertaking, the posts which they were holding in the Government before such absorption shall stand abolished.

(6) The employees who opt to revert to railway service shall be redeployed through the surplus cell of the Government.

(7) The employees including quasi-permanent and temporary employees but excluding casual labourers, who opt for permanent absorption in the public sector undertaking shall, on and from the date of absorption, be governed by the rules and regulations or bye-laws of the public sector undertaking.

(8) A permanent railway servant who has been absorbed as an employee of a public sector undertaking his family shall be eligible for pensionary benefits (including commutation of pension, gratuity, family pension or extraordinary pension), on the basis of combined service rendered by the employee in the Railways and in the public sector undertaking in accordance with the formula for calculation of such pensionary benefits as may be in force at the time of his retirement from the public sector undertaking or his death or at his option, to receive benefits for the service rendered under the Railways in accordance with the orders issued by the Government.

Explanation: - The amount of pension or family pension in respect of the absorbed employee on retirement from the public sector undertaking or on death shall be calculated in the same way as calculated in the case of a railway servant retiring or dying on the same day.

(9) The pension of an employee shall be calculated on fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him.

(10) In addition to pension or family pension, as the case may be, the employee who opts for pension on the basis of combined service shall also be eligible to dearness relief as per industrial dearness allowance pattern.

(11) The benefits of pension and family pension shall be available to quasi-permanent and temporary transferred railway servants after they have been confirmed in the public sector undertaking.

(12) A permanent railway servant absorbed in a public sector undertaking or a temporary or quasi-permanent railway servant who has been confirmed in a public sector undertaking subsequent to his absorption therein, shall be eligible to seek voluntary retirement after completing ten years of qualifying service with the Government and the public sector undertaking taken together, and such person shall be eligible for pensionary benefits on the basis of qualifying service.

(13) The Government shall create a pension fund in the form of a trust and the pensionary benefits of absorbed employees shall be paid out of such pension fund.

(14) The Member Staff, Railway Board shall be the Chairperson of the Board of Trustees which shall include representatives of the Ministries of Finance, Personnel, Public Grievances and Pensions, Labour, concerned public sector undertaking and their employees and experts in the relevant field to be nominated by the Government.

(15) The procedure and the manner in which pensionary benefits are to be sanctioned and disbursed from the pension fund shall be determined by the Government on the recommendations of the board of trustees.

(16) The Government shall discharge its pensionary liability by paying in lump sum as a one time payment to the pension fund the pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered till the date of absorption of the railway servant in the public sector undertaking.

(17) The manner of sharing the financial liability on account of payment of pensionary benefits by the public sector undertaking shall be determined by the Government.

(18) Lump sum amount of the pension shall be determined in accordance with the Table of the values in Appendix to the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

(19) The public sector undertaking shall make pensionary contribution to the pension fund for the period of service to be rendered by the concerned employees under that undertaking at the rates as may be determined by the board of trustees so that the pension fund shall be self supporting.

(20) If, for any financial or operational reason, the trust is unable to discharge its liabilities fully from the Pension Fund and the public sector undertaking is also not in a position to meet the shortfall, the Government shall be liable to meet such expenditure and such expenditure shall be debited to either the fund or to the public sector undertaking.

(21) Payments of pensionary benefits of the pensioners of a railway Department on the date of conversion of it into a public sector undertaking shall continue to be the responsibility of the Government and the mechanism for sharing its liabilities on this account shall be determined by the Government.

(22) Upon conversion of a Railway Department into a public sector undertaking,—

(a) the balance of provident fund standing at the credit of the absorbed employees on the date of their absorption in the public sector undertaking shall with the consent of such undertaking, be transferred to the new provident fund account of the employees in such undertaking;

(b) Earned leave and half pay leave at the credit of the employees on the date of absorption shall stand transferred to such undertaking;

(c) the dismissal or removal from service of the public sector undertaking of any employee after his absorption in such undertaking for any subsequent misconduct shall not amount to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the Railways and in the event of his dismissal or removal or retrenchment, the decisions of the undertaking shall be subject to review by the Ministry of Railways with the undertaking.

(23) In case the Government disinvests its equity in any public sector undertaking to the extent of fifty-one per cent or more, it shall specify adequate safeguards for protecting the interest of the absorbed employees of such public sector undertaking.

(24) The safeguards specified above shall include option for voluntary retirement or continued service in the undertaking or voluntary retirement benefits on terms applicable to railway servants or employees of the public sector undertaking as per option of the employees and assured payment of earned pensionary benefits with relaxation in period of qualifying service, as may be decided by the Government.

2.7 Conditions for payment of pension on absorption consequent upon conversion of a Railway Department into a Central autonomous body:-

(1) On conversion of a Department of the Railway into an autonomous body, all railway servants of that Department shall be transferred en-masse to that autonomous body on terms of foreign service without any deputation allowance till such time as they get absorbed in the said body and such transferred railway servants shall be absorbed in the autonomous body with effect from such date as may be notified by the Government.

(2) The Government shall allow the transferred railway servants an option to revert back to the Government or to seek permanent absorption in the autonomous body.

(3) The option referred to above shall be exercised by every transferred railway servant in such manner and within such period as may be specified by the Government.

(4) The permanent absorption of the railway servants of the autonomous body shall take effect from the date on which their options are accepted by the Government and on and from the date of such acceptance, such employees shall cease to be railway servants and they shall be deemed to have retired from railway service.

(5) Upon absorption of railway servants in the autonomous body, the posts which they were holding in the Government before such absorption shall stand abolished.

(6) The employees who opt to revert to railway service shall be redeployed through the surplus cell of the Government.

(7) The employees including quasi-permanent and temporary employees but excluding casual labourers, who opt for permanent absorption in the autonomous body, shall on and from the date of absorption, be governed by the rules and regulations or bye-laws of the autonomous body.

(8) A permanent railway servant who has been absorbed as an employee of an autonomous body and his family shall be eligible for pensionary benefits (including commutation of pension, gratuity, family pension or extra-ordinary pension), on the basis of combined service rendered by him in the Railways and autonomous body in accordance with the formula for calculation of such pensionary benefits as may be in force at the time of his retirement from the autonomous body or death or at his option, to receive benefits for the service rendered under the Railways in accordance with the orders issued by the Government.

Explanation: - The amount of pension or family pension in respect of the absorbed employee on retirement from autonomous body or death shall be calculated in the same way as would be the case with a railway servant retiring or dying on the same day.

(9) The pension of an employee above (8) shall be calculated at fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him.

(10) In addition to pension or family pension, as the case may be, the absorbed employees who opt for pension on the basis of combined service shall also be eligible to dearness relief as per central dearness allowance pattern.

(11) The benefits of pension and family pension shall be available to quasi- permanent and temporary transferred railway servants after they have been confirmed in the autonomous body.

(12) The Government shall create a pension fund in the form of a trust and the pensionary benefits of absorbed employees shall be paid out of such pension fund.

(13) The Member Staff, Railway Board shall be the Chairperson of the board of trustees which shall include representatives of the Ministries of Finance, Personnel, Public Grievances and Pensions, Labour, concerned autonomous body and their employees and experts in the relevant field to be nominated by the Government.

(14) The procedure and the manner in which pensionary benefits are to be sanctioned and disbursed from the pension fund shall be determined by the Government on the recommendations of the board of trustees.

(15) The Government shall discharge its pensionary liability by paying in lump sum as a one time payment to the pension fund the pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered till the date of absorption of the railway servant in the autonomous body.

(16) The manner of sharing the financial liability on account of payment of pensionary benefits by the autonomous body shall be determined by the Government.

(17) Lump sum amount of the pension shall be determined in accordance with the Table of the values in Appendix to the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

(18) The autonomous body shall make pensionary contribution to the pension fund for the period of service to be rendered by the concerned employees under that body at the rates as may be determined by the Board of Trustees so that the pension fund shall be self-supporting.

(19) If, for any financial operational reason, the trust is unable to discharge its liabilities fully from the pension fund and the autonomous body is also not in a position to meet the shortfall, the Government shall be liable to meet such expenditure and such expenditure shall be debited to either the fund or to the autonomous body, as the case may be.

(20) Payments of pensionary benefits of the pensioners of a Railway Department on the date of conversion of it into an autonomous body shall continue to be the responsibility of the Government and the mechanism for sharing its liabilities on this account shall be determined by the Government.

(21) Upon conversion of a Department of the Railway into an autonomous body.—

(a) the balance of provident fund standing at the credit of the absorbed employees on the date of their absorption in the autonomous body shall, with the consent of such body, be transferred to the new provident fund account of the employees in such body;

(b) earned leave and half pay leave at the credit of the employees on the date of absorption shall stand transferred to such body;

(c) the dismissal or removal from service of the autonomous body of any employee after his absorption in such body for any subsequent misconduct shall not amount to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the Railways and in the event of his dismissal

or removal or retrenchment, the decisions of the body shall be subject to review by the Ministry of Railways.

(22) In case the Government disinvests its equity in any autonomous body to the extent of fifty-one per cent. or more, it shall specify adequate safeguards for protecting the interest of the absorbed employees of such autonomous body.

(23) The safeguards specified above shall include option for voluntary retirement or continued service in the body, as the case may be or voluntary retirement benefits on terms applicable to railway employees or employees of the autonomous body as per option of the employees, assured payment of earned pensionary benefits with relaxation in period of qualifying service, as may be decided by the Government.".

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F (E) III/1(1)9 dated 23.09.13)

2.8 Invalid pension

Invalid Pension- (1) Invalid pension may be granted to a railway servant who retires from service on account of any bodily or mental infirmity, which permanently incapacitates him for the service.

(2) A railway servant applying for an invalid pension shall submit a medical certificate, from a duly constituted medical authority, of his permanent incapacity for service due to bodily or mental infirmity.

(3) Where the medical authority referred to above has declared a railway servant fit for further service of less laborious character than that which he had been doing he should, provided he is willing to be so employed, be employed on a lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be admitted to invalid pension.

(4) A railway servant may, if he considers that he is not in a fit state of health to discharge his duties, apply to the appropriate authority for retirement on invalid gratuity or pension.

2.9 Compensation Pension

(1) If a railway servant is selected for discharge owing to the abolition of his permanent post, he shall, unless he is appointed to another post the conditions of which are deemed by the authority competent to discharge him, to be at least equal to those of his own have the option –

(a) of taking compensation pension to which he may be entitled for the service he had rendered, or

(b) of accepting another appointment on such pay as may be offered and continuing to count his previous service for pension.

(2)(a) Notice of at least three months shall be given to a railway servant in permanent employment before his services are dispensed with on the abolition of his permanent post.

(b) Where notice of at least three months is not given to the railway servant and he has not been provided with other employment on the date on which his services are dispensed with, the authority competent to dispense with his services, may sanction the payment of a sum not

exceeding the pay and allowances for the period by which the notice actually given to him falls short of three months.

(c) No compensation pension shall be payable for the period in respect of which he received pay and allowances in lieu of notice.

(3) In case a railway servant is granted pay and allowances for the period by which the notice given to him falls short of three months and he is re-employed before the expiry of the period for which he has received pay and allowances he shall refund the pay and allowances so received for the period following his re-employment.

(4) If a railway servant who is entitled to compensation pension accepts instead another appointment under the railways and subsequently becomes again entitled to receive a pension of any class, the amount of such pension shall not be less than what he could have claimed if he had not accepted the appointment.

3.0 Compulsory Retirement pension

Compulsory retirement pension -- (1) A railway servant compulsorily retired from service as a penalty may be granted, by the authority competent to impose such penalty, pension or gratuity, or both at a rate not less than two-thirds and not more than full compensation pension or gratuity, or both admissible to him on the date of his compulsory retirement.

(2) Whenever, in the case of a railway servant the President passes an order (whether original, appellate or in the exercise of power of review) awarding a pension less than the full compensation pension admissible under these rule, the Union Public Service Commission shall be consulted before such order is passed.

Explanation – In this sub-rule, the expression "pension" includes "gratuity".

(3) A pension granted or awarded under (1) or, as the case may be, under (2), shall not be less than nine thousand rupees per mensem w.e.f 01.01.2016.

3.1 Compassionate Allowance

Compassionate allowance – (1) A railway servant who is dismissed or removed from service shall forfeit his pension and gratuity:

Provided that the authority competent to dismiss or remove him from service may, if the case is deserving of special consideration, sanction a compassionate allowance not exceeding two-thirds of pension or gratuity or both which would have been admissible to him if he had retired on compensation pension.

(2) A compassionate allowance sanctioned under (1) shall not be less than nine thousand rupees per mensem.

(Authority: Railway Board's letter No. 2016/F (E) III/1(1)8 dated 12.08.2016)

Retirement/Death Gratuity

1. Retirement/Death Gratuity

Retirement gratuity or death gratuity – (1) (a) In the case of a railway servant, who has completed five years' qualifying service and has become eligible for service gratuity or pension under Pension Rule shall, on his retirement, be granted retirement gratuity equal to one fourth of his emoluments for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of sixteen and one-half times the emoluments and there shall be no ceiling on reckonable emoluments for calculating the gratuity.

(b) If a railway servant dies while in service, the amount of death gratuity shall be paid to the family in the manner indicated in the Table below:-

Table

Length of qualifying service	**Rate of gratuity**
Less than one year	2 times of monthly emoluments
One year or more but less than 5 years	6 times of monthly emoluments
Five year or more but less than 11 years	12 times of monthly emoluments
11 years or more but less than 20 years.	20 times of monthly emoluments
20 years or more.	Half month's emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of thirty three times of emoluments.

(Authority: Para 6.1 of Railway Board's letter No. 2016/F (E) III/1(1)8 dated 12.08.2016)

The maximum limit of Retirement gratuity & Death gratuity shall be Rs 20 lacs. The ceiling on gratuity will increase by 25% whenever the dearness allowance rises by 50% of the basic pay.

Provided further that the amount of retirement or death gratuity as finally calculated shall be rounded of to the next higher rupees.

(2) If a railway servant, who has become eligible for a service gratuity or pension, dies within five years from the date of his retirement from service including compulsory retirement as a penalty and the sums actually received by him at the time of his death on account of such gratuity or pension including ad-hoc increase, if any, together with the retirement gratuity admissible and the commuted value of any portion of pension commuted by him are less than

the amount equal to twelve times of his emoluments, a residuary/gratuity equal to the deficiency may be granted to his family in the manner provided under the Rules.

(3) The emoluments for the purpose of gratuity admissible under this rule shall be reckoned in accordance with rule 49;

Provided that if the emoluments of a railway servant have been reduced during the last ten months of his service otherwise than as a penalty the average emoluments as referred to in the 50 shall be treated as emoluments.

Provided further that the dearness allowance admissible on the date of retirement or death, as the case may be, shall also be treated as emoluments for the purpose of this rule.

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F (E) III/1(1)9dated 23.09.13)

Family

1.1 'Family' in relation to railway servant, for payment of Retirement/Death gratuity means –

(i) Wife or wives including judicially separated wife or wives in the case of a male railway servant.
(ii) Husband including judicially separated husband in the case of a female railway servant.
(iii) Sons including step-sons and adopted sons.
(iv) Unmarried daughters including step-daughters and adopted daughters.
(v) Widowed daughters including step-daughters and adopted daughters.
(vi) Father including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption.
(vii) mother.
(viii) brother below the age of eighteen years including step brothers
(ix) unmarried sisters and widowed sisters including step sisters.
(x) married daughters.
(xi) children of pre-deceased son.

2. Persons to whom gratuity is payable

Persons to whom gratuity is payable –(1) (a) The gratuity payable under pension rules shall be paid to the person or persons on whom the right to receive the gratuity is conferred by the railway servant by making a nomination under the rules;

(b) If there is no such nomination or if the nomination made does not subsist, the gratuity shall be paid in the manner indicated below: -

(i) If there are one or more surviving members of the 'family' as in items (i), (ii), (iii),(iv) and (v) of para 1.1, to all such members in equal shares;

(ii) If there are no such surviving members of the family as in item (i) above, but there are one or more members as in items (vi), (vii), (ix), (x) and (xi) of para 1.1 to all such members in equal shares.

(2) If a railway servant dies after retirement without receiving the gratuity admissible under the rules, the gratuity shall be disbursed to the family in the manner indicated in above.

(3) The right of a female member of the family, or that of a brother of a railway servant who dies while in service or after retirement, to receive the share of gratuity shall not be affected if the female member marries or re-marries or the brother attains the age of eighteen years, after the death of the railway servant and before receiving his or her share of gratuity.

(4) Where the gratuity is granted to a minor member of the family of the deceased railway servant, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.

Nomination

(1) A railway servant shall on his initial confirmation in a service or post, make a nomination conferring on one or more persons the right to receive the death-cum-retirement gratuity.

(Authority: File No. 2015/F(E)III/1(1)/4 dt.17.06.16 ....RB NO.70)

Provided that if at the time of making the nomination –

(i) the railway servant has a family, the nomination shall not be in a favour of any person or persons other than the members of his family; or

(ii) the railway servant has no family, the nomination may be made in favour of a person or persons, or a body of individuals, whether incorporated or not.

(2) If a railway servant nominates more than one person, he shall specify in the nomination the amount of share payable to each of the nominees in such manner as to cover the entire amount of gratuity.

(3) A railway servant may provide in the nomination –

(i) that in respect of any specified nominee who pre-deceases the railway servant, or who dies after the death of the railway servant but before receiving the payment of gratuity, the right conferred on that nominee shall pass to such other person as may be specified in the nomination;

Provided that if at the time of making the nomination the railway servant has a family consisting of more than one member, the person so specified shall not be a person other than a member of his family.

Provided further that where a railway servant has only one member in his family, and a nomination has been made in his favour, it is open to the railway servant to nominate alternate nominee or nominees in favour of any person or a body of individuals, whether incorporated or not.

(ii) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of the contingency provided therein.

(4) The nomination made by a railway servant who has no family at the time of making it, or the nomination made by a railway servant under the second proviso to clause (1) of (3) above where he has only one member of his family shall become invalid in the event of the railway

servant subsequently acquiring a family, or an additional member in the family, as the case may be.

(5) A railway servant may, at any time, cancel nomination by sending a notice in writing to the authority mentioned in (7):

Provided that he shall, along with such notice send a fresh nomination made in accordance with the rules.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid, the railway servant shall send a notice in writing canceling the nomination together with a fresh nomination.

(7)(a) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a railway servant under these rules, shall be sent by the railway servant to his Accounts Officer in the case of a gazetted railway servant and to the Head of his office in the case of non gazetted railway servant.

(b) Immediately on receipt of a nomination from non-gazetted railway servant, the Head of Office shall countersign it indicating the date of receipt and keep with him or other responsible officer nominated by him for this purpose, and a clear note made in the service record or service book, as the case may be, of the railway servant as to what nomination and related notices have been received from him and where they have been lodged for safe custody and an acknowledgement to the railway servant concerned confirming that the nominations made by him and the related notices have been duly received and placed on record shall invariably be sent to every railway servant making or cancelling a nomination, by the Accounts Officer in the case of gazetted railway servants and by the Head of Office in the case of non-gazetted railway servants.

Note: - The power to countersign nomination form sent by non-gazetted railway servants may be delegated by the Head of Office to his subordinate gazetted officer.

(8) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a railway servant shall, to the extent that it is valid, take effect from the date on which it is received by the concerned authority.

Lapse of death-cum-retirement gratuity – Where a railway servant dies while in service; or after retirement without receiving the amount of gratuity and leaves behind no family, and –

(a) has made no nomination or

(b) the nomination made by him does not subsist the amount of death-cum retirement gratuity payable in respect of such railway servant under the rules shall lapse to the Government; Provided that the amount of death gratuity or retirement gratuity shall be payable to the person in whose favour a succession certificate has been granted by the Court of law.

Pension

Various orders on matters concerning pension issue from time to time.

2. On introduction of pension scheme on the Railways vide Board's letter No. F(E)50/RT1/6 dated 16.11.1957, Pension Rules as in force at that time were also circulated to the Railways. As per Pension Rules, pension and/or gratuity was admissible in the following cases.

(a) Retirement on superannuation
(b) Retirement on Medical invalidation
(c) Retirement on completion of 30 years qualifying service
(d) Abolition of post

3. The amount of pension finally determined shall be expressed in whole rupees and where the pension contains a fraction of rupee it shall be rounded off to the next higher rupee.

Clarification issued that orders for rounding off of the pension to the next higher rupee are applicable to all classes of pension including Extraordinary Pension, and the Compassionate Allowance which is in the nature of pension.

(Letter No. F(P) 66 PN 1/13 dated 7.4.1966, 14.4.1967 & 21.12.67)

4. Benefit of commutation allowed on the difference between the original pension and the enhanced pension fixed as a result of a portion of Dearness Allowance treated as Dearness Pay.

(Letter No. F(E) III 70 PN 1/28 dated 21.10.1971)

5. Pension including Compassionate Allowance shall not be reduced below the minimum permissible pension.

(Letter No. F(E) III 70PN 1/16 dated 1.4.1972 and F(E) III 75 PN 1/19 dated 27.3.1976)

6. With effect from 1.1.1973-

Gratuity shall be payable at the rate of 16.1/2 months' emoluments as against 15 months emoluments;

Maximum qualifying service for determining pension raised from 60 completed six monthly periods to 66 six monthly periods and the Invalid pension shall not be less than the amount of the family pension payable to the family of the deceased railway servant.

(Letter No. F(E) III 74 PN 1/3 dated 2.1.1974)

7. The recommendation of the Third pay Commission for grant of relief on pension to Class II,III and IV Railway servants retiring on and after 1.1.1973 was accepted.

(Letter No. PCIII/73/PN/3 dated 5.4.1974)

8. Relief on pension was also granted to Pre 1.1.1973 pensioners.

(Letter No. F (E) III/73 PN1/17 dated 15.5.1974)

9. Relief on pension was granted to Class I Officers.

(Letter No. PC III/73 PN/3 dated 18.7.1974)

10. Where the railway servant opted for the Railway Services (Revised Pay) Rules 1973 from a date subsequent to 1.1.1973, dearness pay, dearness allowance and the interim relief as in force on 31.12.1972 and drawn till the date the railway servant opted for the revised scale was treated as emolument for pensionary purposes.

(Letter No. PC III 73/PN/3 dated 9.9.1974)

11. Clarification was issued that relief on pension is admissible on Compassionate Allowance.

(Letter No.F(E)III 73 PN 1/17 dated 2.2.1976)

12. In the case of railway pensioner drawing another pension from the State Government, the relief on Railway pension shall be paid on the amount of pension as sanctioned by the Railway. The railway will have no objection if the State Government also pays the relief on the pension sanctioned by the State Government.

(Letter No.F(E)III 74 PN1/16 dated 27.2.1976)

13. The payment of provisional pension to the retiring railway servants against whom departmental of judicial proceedings had been instituted or continued after retirement is mandatory.

(Letter No.F(E)III 78 PN 1/11 dated 17.5.1978)

14. In respect of railway servants retiring on and after 31.3.1979, slab system was introduced under the Liberalisation of Pension Formula. The maximum pension alongwith relief was raised to Rs.1500/- per month as against the maximum pension of Rs.1000/-.

(Letter No.F(E)III/79/PN1/4 dated 1.6.1979)

15. Rules 2534, 2809, 2815, 2303, 2308/A and Form 30-D in Appendix XIII of the Indian Railway Establishment Code Vol. II authorising the competent authority to reduce pensionary benefits on grounds of unsatisfactory service record deleted.

(Letter no. F (E)III 80 PN 1/19 dated 18.11.1980)

16. Railway servants on retirement from service on attaining the age of superannuation or on being declared to be permanently incapacitated for further service by the appropriate authority after he has rendered temporary service of not less than 20 years allowed pension, gratuity and family pension. Hitherto pension was admissible only to a permanent railway servant. These orders were made applicable to railway servants who were in service on 31.12.1980.

(Letter No. F(E)III 78 PN 1/3 dated 21.12.1981)

17. In calculating the length of qualifying service, a fraction of a year equal to three months and above be treated as completed one half year and reckoned as qualifying service for determining the amount of pension.

(Letter No.F(E)III 79 PN 1/10 dt 25.8.1983)

18. Arrears of pension on the death of a pensioner are payable to his nominee. Railway servant at the time of retirement may submit nomination.

(Letter No. F (E)III 83 PN 1/25 dated 21.11.1983, 3.9.1984 and 26.2.1986).

19. As a result of Supreme Court Judgement, benefit of Liberalised Pension Formula was extended to all pensioners who were in receipt of superannuation, retiring Compensation and Invalid Pension as also Compassionate Allowance on 1.4.1979. The said formula provided for computation of average emoluments on the basis of emoluments drawn during the last 10 months (b) determination of pension with reference to 33 years qualifying service and the maximum pension restricted to Rs.1500/- per month as well as application of slab system in computing the pension from the average emoluments.

(Letters No. F(E)III PN 1/8 dated 29.11.1983, 8.5.1984 and 6.3.1986)

20. In the case of running staff retiring on and after 1.8.1981, 55% of pay element allowed to be counted as emoluments for retirement purposes.

(Letter No. E(P&A) II-82/Rs-7 dated 5.6.1984)

21. The scheme of voluntary retirement under rule 66 of the Railway Service (Pension) Rules, 1993 i.e after 30 years qualifying service shall not be applicable to those who are on assignment to ITDC, posted abroad in foreign based posts of the Government and those who are on specified assignment to foreign Governments.

(Letter No. F (E)III 85 PN 1/21 dated19.9.1985)

22. With effect from 01.01.2016, the minimum pension (superannuation/retiring/invalid/Compensation) or family pension fixed at Rs.9000/- per month.

(Letter No. 2016/F(E)III/1(1)/8 dated 12.8.2016)

23. With effect from 28.10.1987, the benefit of added years of service under Rule 2423-A/RII shall be admissible to those who retired from service or post after 31.3.1960.This benefit contained in Rule 45 of Railway Services (Pension) Rules, 1993 discontinued w.e.f 01.01.2006.

(Letters No. F(E) III 87 PN 1/21 dated 4.12.1987 & F(E) III/92/PN 1/8 dated 20.4.1992)

24. Families of persons who retired prior to 1.1.1986 with not less than 10 years temporary service and were not eligible for pension were made eligible to the grant of family pension.

(Letter No. F(E) III 86 PN ¼ dated 2.3.1988)

25. Pensioners is required to furnish on employment or employment/ re-employment certificate once in a year i.e in the month of November each year. Until such certificate is furnished, pension for the month of November and onward shall not be disbursed.

(Letter No. F (E) III/88/PN 1/21 dated 9.8.1988)

Gratuity

The following orders relating to Gratuity were issued from time to time.

2. The provisions regarding eligibility of DCRG, amount admissible and the persons entitled to receive the DCRG etc was given in the pension rules which were circulated at the time of introduction of the pension scheme on the railways vide letter No. F(P)50RT1/6 dated 16.11.1957.

3. Permanent railway servants are required to make nomination for payment of DCRG.

(Letter No. F(P)58 PN 1/5 III dated 31.10.1958 and F(P)59 PN 1/1 dated 5/17.2.1960)

4. Pensioner after retirement is not permitted to make nomination for payment of DCRG.

(Letter No.F (P) 58 PN 1/5 dated 10.2.1959)

5. Where the amount of ordinary gratuity/pension together with the DCRG and the commuted portion of pension, if any, were less than 12 times of the emoluments, residual gratuity making good the deficiency between the amount received and 12 times the emoluments be granted provided the railway servant had died within 5 years from the date of his retirement.

(Letter No. F(P) 58 PN 1/5 IV dated 28.5.1959)

6. Terminal gratuity is paid to a temporary railway servant who die while in service or retires on superannuation, medical invalidation or is discharged from service on account of reduction in establishment. The scale and the ceiling limit for grant of service gratuity/death gratuity is indicated in the following orders.

(Letters No. PC 60 RB-8/1 dated 31.10.1960
PC 60RB-2/3 dated 8.11.1960
F(P) 62 PN-1/4 dated 12.1.1962
F(P) 66 PN 1-21 dated 31.5.1967)

7. Personnel staff of Ministers and Deputy Ministers appointed at the discretion of the Minister/Deputy Minister and who on the date of their appointment are not Government servants are eligible to the payment of DCRG and family pension as admissible to the temporary employees.

(Letter No. F(P) 64 PN 1/22 dated 27.7.1961)

8. Adopted/step children are eligible to be included in the term 'family' for receiving terminal/death gratuity. The term 'father and mother' shall also include adoptive parents in case of individuals whose personal law permits such adoption. The order of preference of family members eligible to the payment of gratuity is given in the orders.

(Letter No F(P) 64 PN 1/42 dated 22.6.1966)

9. The term 'government dues' which can be deducted from the DCRG do not include dues payable by a railway servant to an autonomous organization while on deputation. Such dues however can be recovered from the DCRG with the express consent of the railway servant.

(Letter no. F(E)III 67 PN 1/24 dated 28.2.1968)

10. With effect from 22.7.1977, no deduction shall be made from the DCRG as contribution towards family pension as was required under the family Pension Scheme 1964.

(Letter No. F(E) III 76 PN 1/23 dated 6.10.1977)

11. The gratuity shall be calculated on the last pay drawn and not on the basis of average emoluments. Appropriate dearness pay shall also be taken into account for calculating the gratuity.

(Letter No. PCIII/79/DP/1 dated 26.9.1979)

12. Where disciplinary or judicial proceedings are pending against a railway servant on the date of retirement, no gratuity is paid until the conclusion of the proceedings and the issue of orders thereon. On conclusion of the proceedings, interest on delayed payment of DCRG may be paid if the railway servant is fully exonerated. The gratuity shall be deemed to have fallen due for payment on the day following the date of retirement.

(Letter No.F(E)III 79/PN 1/15 dated 25.5.1983
Letter No. F(E)III 79/PN 1/15 dated 15.4.1991)

13. General Managers delegated powers to sanction interest on delayed payment of DCRG.

(Letter No. F(E) III 79 PN 1/15 dated 23.1.1987)

14. With effect from 1.1.1973, the maximum limit of DCRG was raised from 15 months emoluments to 16 ½ months emoluments.

(Letters No. PC III/73 PN/3 dated 2.1.1974)

15. In respect of railway servants retiring on and after 01.01.2016, upper ceiling limit of gratuity payable was enhanced to Rs.20 Lacs. The ceiling on gratuity will increase by 25% whenever the dearness allowance rises by 50% of the basic pay.

(Letter No. F(E) III 82 PN 1/3 dated 17.5.1985)

16. With effect from 12.2.1985, the amount of DCRG as also the commuted value of pension as finally calculated shall be rounded off to the next higher rupee.

(Letter No. F(E)III 86 PN 1/3 dated 4.2.1986)

17. The service gratuity for qualifying service of less than 10 years shall be calculated at a uniform rate of half months emolument for every completed six monthly period of service.

(Letter No. PC-IV/87/Imp/PN 1 dated 15.4.1987)

18. The President has the right of withholding a pension or gratuity or both, either in full or in part, or withdrawing a pension in full or in part, whether permanently or for a specified period, and or ordering recovery from pension or gratuity of the whole or part pecuniary loss caused to the Government, if, in any departmental or judicial proceedings, the pensioner is found guilty of grave mis-conduct or negligence during the period of his service, including service rendered upon reemployment after retirement. Here the term pension includes gratuity.

(Ref. F(E)III/91/PN1/29 dated 16.12.91 and F(E)III/88/LE1/1 dated 7.8.89).

G. Priya Sudarsani

(G.Priya Sudarsani)
Director, Finance (Estt.)
Railway Board